आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

जनवरी 2022

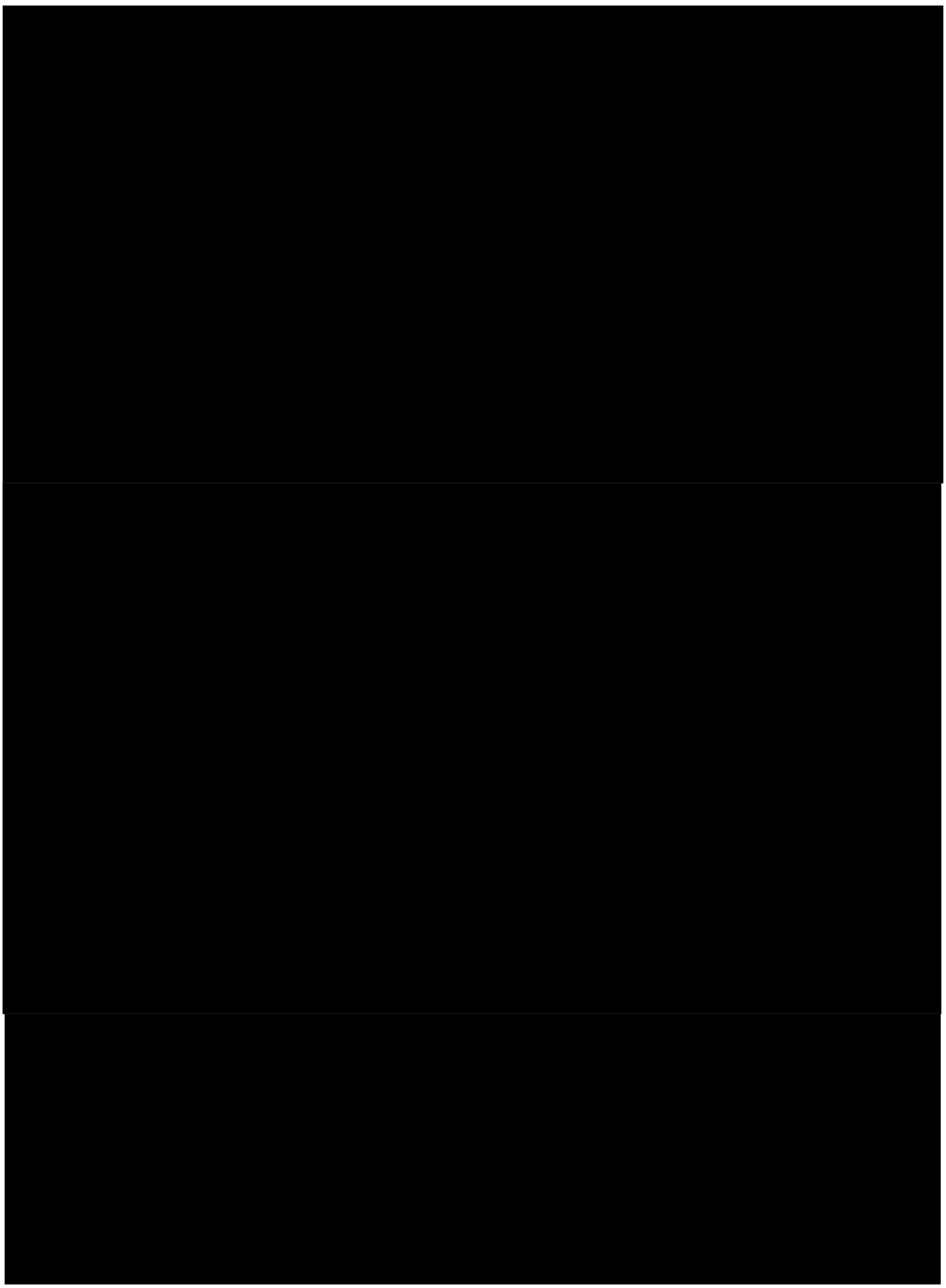
क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

भुखमरी : सबसे बड़ी मानव त्रासदी





www.kanti.in

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

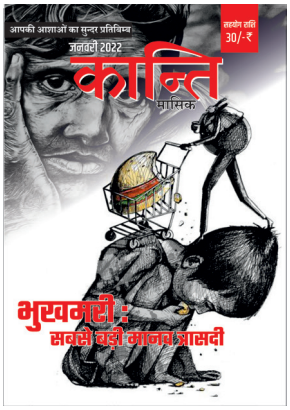
चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 31 अंक 07 जनवरी 2022

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
"नवीन वर्ष में नवीन प्रण करो"
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
'आत्मावलोकन' कर ख़ुद को पहचानें
संपादन प्रभाग

सौंदर्य बोध 09
उद्देश्यपूर्ण जीवन का मनोविज्ञान
एस॰ अमीनुल हसन

मुख्य स्तंभ 11
भुखमरी : एक मानवीय त्रासदी
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 15
भारत में ग़रीबों की कितनी दुर्दशा?
डॉ॰ वेद प्रताप वैदिक

कविता 17
भूख है तो सब्र कर
दुष्यंत कुमार

समाधान 18
ज़कात : ग़रीबी उन्मूलन का कारगर उपाय
डॉ॰ फ़रहत हुसैन

शिक्षा विमर्श 19
'उपयोगितावादी' शिक्षा से कैसे हो चरित्र निर्माण ?
संपादन प्रभाग

विशेष 22
मानवाधिकारों के कुछ अनछुए पहलू
विभा त्रिपाठी

विधान 25
मानवाधिकारों की संकल्पना और इस्लाम
क़ुदसिया सबाहत

भविष्य 28
बच्चों के प्रति हमारी ज़िम्मेदारियां
तसनीम फ़रज़ाना

महिला जगत 30
आत्मनिर्भर बन सशक्त बनें
उम्मे ज़ुमर फ़ारिस

करियर 32
डिजिटल मार्केटिंग : एक उभरता हुआ करियर विकल्प
संपादन प्रभाग

ज्वलंत 35
बीमार स्वास्थ्य ढांचे का कैसे हो उपचार ?
संपादन प्रभाग

प्रकाश स्तंभ 37
मुहम्मद (सल्ल॰) का विरोधियों के साथ व्यवहार
मुहम्मद इक़बाल मुल्ला

विवेकशीलता 39
खान-पान में हलाल-हराम का सवाल
संपादन प्रभाग

सद्भावना 41
सामाजिक सौहार्द और मीडिया
डॉ॰ सैयद क़ासिम रसूल इलियास

कहानी 45
पेंशन
प्रवीण कुमार सहगल

आख़िरी पन्ना 49
बुद्धिमानों के लिए निशानियां
नईम अलहिन्दी

मूल प्रश्न



"नवीन वर्ष में नवीन प्रण करो"



शिब्ली अरसलान

नव वर्ष के आने से कौन-सा नयापन आ जाएगा, डिजिट में थोड़े 'नयापन' के सिवा? "2021" में इकाई वाला स्थान बदल जाएगा बस! अक्सर ये प्रश्न, नव वर्ष की आमद से पूर्व मिलने वाली मुबारकबादियों और शुभकामनाओं पर खड़ा हो जाता है, और सहज तौर पर खड़ा होता है। हम जब गुज़रे हुए साल के लिए बुने सपने और लक्ष्य में नाकाम हो जाते हैं तो इस प्रश्न का उठना वाजिब है। हर नव वर्ष पर हमारे राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व द्वारा जो क़स्में और वादे लिये व दिये जाते हैं, वे भी आम तौर पर सराब (मृगतृष्णा) ही तो होते हैं। नया साल, यदि हमें इस अंतरावलोकन का मौक़ा देता है कि गुज़रे हुए वर्ष में हमारी क्या कोताहियां रहीं और कैसे हमें इनसे बचना है और आगे क्या-क्या कामयाबियां हासिल करनी हैं तो ये 'नयापन' स्वागतयोग्य है। फिर तो हरिवंशराय बच्चन की ये कविता ज़रूर गुनगुनानी चाहिए...

वर्ष नव,
हर्ष नव,
जीवन उत्कर्ष नव।

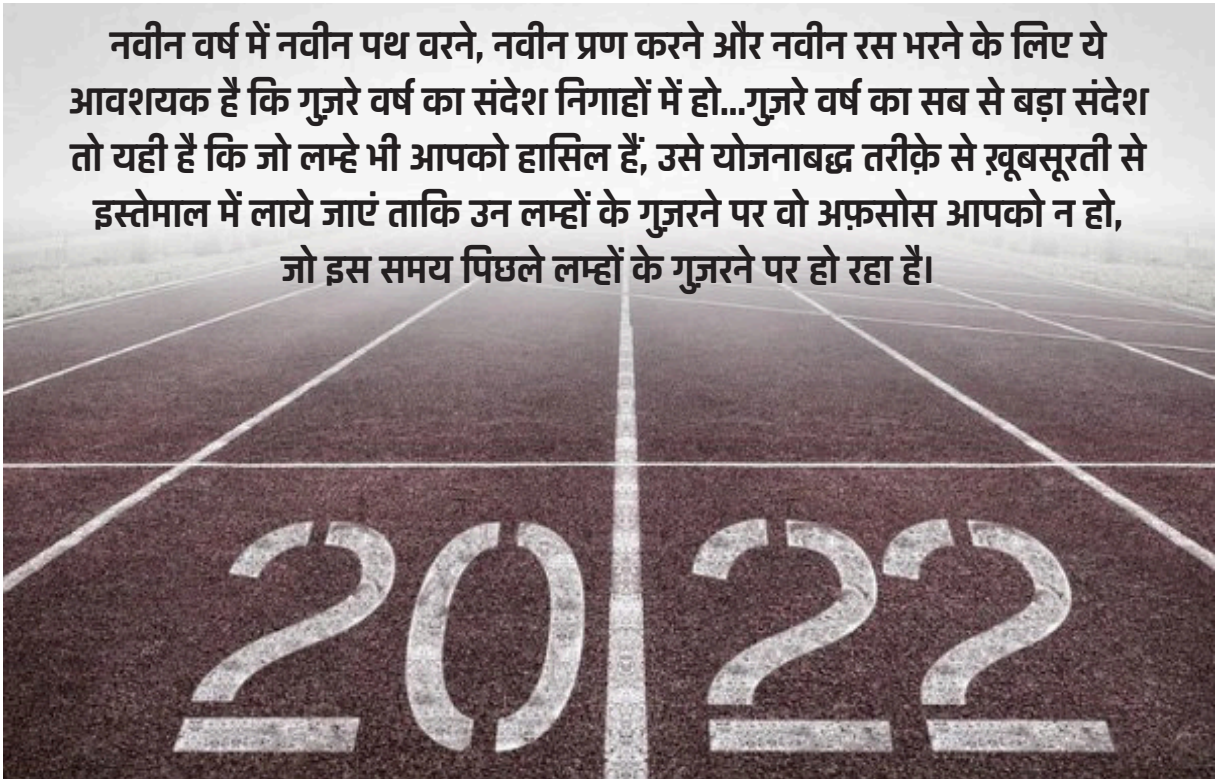
नव उमंग,
नव तरंग,
जीवन का नव प्रसंग।

नवल चाह,
नवल राह,
जीवन का नव प्रवाह।

गीत नवल,
प्रीत नवल,
जीवन की रीति नवल,
जीवन की नीति नवल,
जीवन की जीत नवल!

नव वर्ष हमें दो प्रकार के एहसास बहुत स्पष्ट तौर पर कराता है। एक यह एहसास कि जीवन रूपी डोर हाथ से फिसलती जा रही है, यह देखो एक और साल गया। हमें ईश्वर ने जो लम्हे अता किये थे, उनमें कुछ क्षण और कम हो गये। दूसरा ये आशावादी एहसास कि हमें अपनी कमज़ोरियों और विफलताओं पर कंट्रोल और नये लक्ष्य सेट करने का एक और शानदार अवसर मिल गया है। यदि नव वर्ष की ख़ुशी तब्दीली की इन उम्मीदों और नए संकल्प (रिज़ॉल्यूशन) के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो नव वर्ष का नव हर्ष केवल सेलिब्रेशन और मानसिक प्रदूषण के रूप में सामने आता है। पहली और दूसरी जनवरी के समाचार पत्र

नवीन वर्ष में नवीन पथ वरने, नवीन प्रण करने और नवीन रस भरने के लिए ये आवशयक है कि गुज़रे वर्ष का संदेश निगाहों में हो...गुज़रे वर्ष का सब से बड़ा संदेश तो यही है कि जो लम्हे भी आपको हासिल हैं, उसे योजनाबद्ध तरीक़े से ख़ूबसूरती से इस्तेमाल में लाये जाएं ताकि उन लम्हों के गुज़रने पर वो अफ़सोस आपको न हो, जो इस समय पिछले लम्हों के गुज़रने पर हो रहा है।



मानसिक प्रदूषण की ख़बरों से भरे होते हैं।

प्रिय पाठकगण!

वर्ष 2021 एक ओर वैश्विक तौर पर कोरोना महामारी पर कंट्रोल और देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन की सफलता के हवाले से ख़ुशी का संदेश दे गया तो दूसरी तरफ़ कोरोना की दूसरी लहर में बरसों से जर्जर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी नाकामी के चलते लाखों लोगों का बेदर्दी के साथ काल के गाल में समा जाने से लेकर क्रोनी कैपिटलिज़म के कारण कमर तोड़ महंगाई और बेरोज़गारी की मार बेहद दुखी कर गया, उस पर सांप्रदायिक नफ़रत का उफान, करेला नीम चढ़ा की तरह बदमज़ा करता रहा। हाथरस, खेड़ा ख़लीलपुर और लखीमपुर खीरी की हृदय विदारक घटनाएं भी हमें लहू रुलाती रहीं। लॉकडाउन की मार झेल रही शिक्षा व्यवस्था और बिखरता-उजड़ता फैमिली सिस्टम भी 2021 की देन है। डिप्रेशन, हिंसात्मक रवय्यों और मानसिक विकार का बढ़ता प्रकोप भी हमें गुज़रे वर्ष में इंसानी बेबसी का एहसास कराता रहा।

नवीन वर्ष में नवीन पथ वरने, नवीन प्रण करने और नवीन रस भरने के लिए ये आवशयक है कि गुज़रे वर्ष का संदेश निगाहों में हो...

गुज़रे वर्ष का सब से बड़ा संदेश तो यही है कि जो लम्हे भी आपको हासिल हैं, उसे योजनाबद्ध तरीक़े से ख़ूबसूरती से इस्तेमाल में लाये जाएं ताकि उन लम्हों के गुज़रने पर वो अफ़सोस आपको न हो, जो इस समय पिछले लम्हों के गुज़रने पर हो रहा है। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के हवाले से गुज़रे वर्ष का दूसरा बड़ा संदेश ये है कि सरकारों की नीतियां और क़ानून कितना भी काला क्यों ना हो, संकल्पित मन, जीवटता, दृढ़ विशवास और सच्चाई के उजाले से अंधेरे रास्ते रोशन हो सकते हैं।

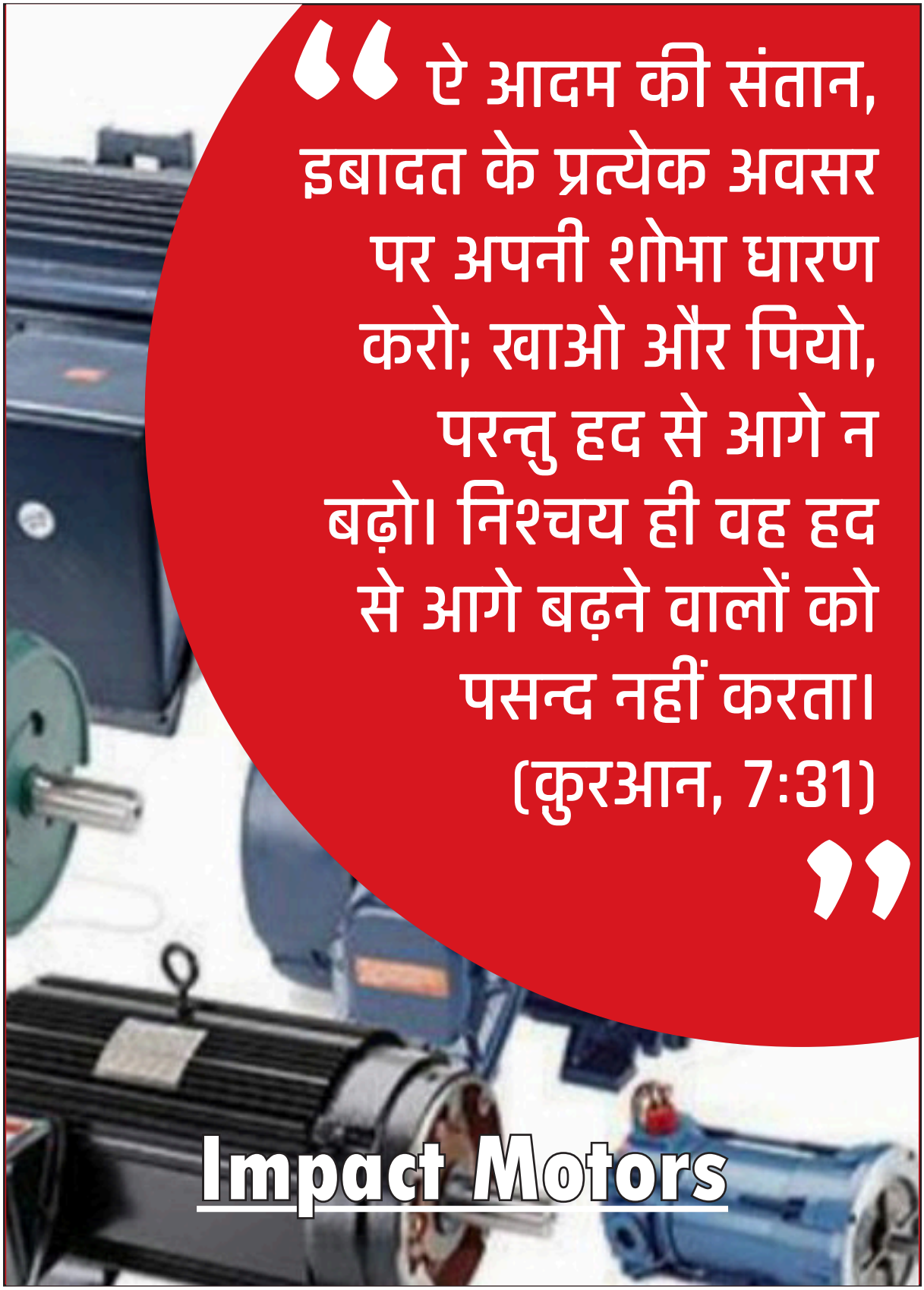
तीसरा बड़ा संदेश ये है कि नकारात्मक प्रोपैगन्डा, वैचारिक संकीर्णता और नफ़रत के ज़हर से मुक्ति बहुत ज़रूरी है। नव पूंजीवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद ने यूं ही ज़िंदगी का वास्तविक लुत्फ़ ग़ारत कर रखा है, अत्याधुनिक-विकसित इस दुनिया में मानव त्रासदियों का शुमार मुश्किल हो गया है, उस पर सांप्रदायिक संकीर्णता और नफ़रत पुरानी खाज में फफूंद लग जाने के तुल्य है।

आओ नव वर्ष पर मानव एकता का प्रण करें।

आओ इस नूतन वर्ष पर मानव सेवा का पथ वरें।

आओ इस नवीन वर्ष पर सच्ची ख़ुशी का रस भरें।

आओ इस नये साल में वैचारिक संकीर्णता से निकल कर विश्व बंधुत्व की धारणा धरें।


“ऐ आदम की संतान, इबादत के प्रत्येक अवसर पर अपनी शोभा धारण करो; खाओ और पियो, परन्तु हद से आगे न बढ़ो। निश्चय ही वह हद से आगे बढ़ने वालों को पसन्द नहीं करता। (कुरआन, 7:31)”
Impact Motors



चिंतन



संपादन प्रभाग

'आत्मावलोकन' कर ख़ुद को पहचानें

'आत्मावलोकन' (Introspection) यानी ख़ुद को जानना और अपने आप का निरीक्षण कर स्वयं को पहचानना। यह मानव का स्वभाव है कि वह सदैव दूसरों के गुणों और दोषों का अवलोकन करता है, लेकिन ख़ुद के गुण व दोष उसे कम ही नज़र आते हैं। विद्वानों का कहना है कि इन्सान को ख़ुद अपने गुण और दोष के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करके ही इन्सान ख़ुद का और देश एवं समाज का सही अर्थों में विकास कर सकता है। कमियों और बुराइयों का ख़ात्मा ही एक साफ़-सुथरे समाज के निर्माण की पहली शर्त है।

हाल में ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश, माननीय श्री एनवी रमण (CJI NV Ramana) ने कहा था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को प्रतिदिन इस बारे में आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या उनके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे हैं या नहीं और साथ में यह भी परखना चाहिए कि कहीं उनमें कोई अवगुण तो नहीं है? शासकों को अपना नियमित कार्य शुरू करने से पहले आत्मावलोकन करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है

और सरकार द्वारा जो भी फ़ैसला लिया जाए, उसका फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए। देश की सभी व्यवस्थाएं स्वतंत्र और ईमानदार हों, जिनका लक्ष्य लोगों की सेवा करना होना चाहिए।" प्रधान न्यायाधीश की उक्त बातें आत्मावलोकन के महत्व की ओर तो इशारा करती ही हैं साथ ही इसमें हर ख़ासो-आम इन्सान के लिए एक संदेश छुपा है।

आत्मावलोकन का मतलब है मन के अच्छे और बुरे विचारों का मनन करना और निरीक्षण करना। मानव शरीर ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। मनुष्य के पास ही वह शक्ति है, जिससे वह आत्मावलोकन कर सकता है। इसके लिए हृदय की शुद्धता सर्वोपरि है। चित शुद्ध होने पर मनुष्य में आत्म ज्ञान आता है। प्रायः महापुरुषों की प्रसिद्धि व सफलता के पीछे उनकी आत्मावलोकन की भावना ही रही है। इस आत्मावलोकन की कोई समय-सीमा व स्थान निश्चित नहीं है हर व्यक्ति अपने अनुसार आत्मावलोकन कर सकता है और करना भी चाहिए। हमने दिन भर क्या अच्छे व बुरे काम किए, उनमें क्या सुधार होना चाहिए, इस संबंध में एकांत में अपने मन में झांककर चिंतन-मनन करना चाहिए। समय-समय पर आत्मावलोकन करना एक अच्छा इन्सान बनने की प्रक्रिया है।

जिसने स्वयं को जीत लिया, ढूंढ़ लिया मानो उसने सारा संसार जीत लिया। अपने अंदर झांककर जगत और अपने जीवन के सत्य को समझना मानव दर्शन की देन है। स्वयं को जानकर ही जग को जाना जा सकता है। जिस दिन मनुष्य आत्मावलोकन में सफल हो जाता है, उसी दिन उसकी सारी बचैनी ख़त्म हो जाती है। हमें विद्यार्थियों में भी आत्मावलोकन की भावना जगाना चाहिए। इससे उनकी बुद्धि, विवेक और



स्मरण शक्ति का विकास होगा। उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। आज देश में विद्वानों और बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। लोग विचारों के धनी हैं पर स्वयं अपने आचरण में ज़्यादातर निर्धन हैं। इन्सान चाहे जितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन, जब तक उसका मन साफ़ नहीं हो जाता तब तक उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है।

हमारे अंदर छुपी बुराइयों और अच्छाइयों को हमसे बेहतर दूसरा कोई नहीं जान सकता। हमारी स्वभाविक बुराइयां ही हमारे पतन का कारण बनती हैं, जबकि हमारे अंदर पनपने वाली अच्छी आदतें हमें तरक़्क़ी की ओर ले जाती हैं। रोज़ाना की दिनचर्या में हमें कुछ समय आत्मावलोकन के लिए ज़रूर निकालना चाहिए ताकि हम ख़ुद की पहचान कर सकें। अपने भीतर छुपी ख़ूबियों को उभारकर बुराइयों को दूर करने में ही हमारे जीवन की अस्ल कामयाबी है।

आत्मावलोकन के ज़रिये हम अपनी तरक़्क़ी का रास्ता ख़ुद बना सकते हैं। अपनी बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों के रास्ते पर चलते हुए हम अपने जीवन को पूरी तरह सफल बना सकते हैं। अपने अंदर छुपी बुराइयों का ख़ात्मा करके अच्छाइयों के रास्ते पर आगे बढ़ना ही आत्मावलोकन है। अपने अंतर्मन को साफ़-सुथरा रखने के लिए ज़रूरी है कि हर इन्सान अपना ख़ुद का प्रतिदिन आत्मावलोकन करे और इसके लिए थोड़ा-सा वक़्त निकाले, ख़ुद को जाने और पहचाने। कहा गया है कि आत्म-ज्ञान महाज्ञान और यह ज्ञान आत्मावलोकन के ज़रिये ही संभव है।

■■

सौंदर्य बोध

एस. अमीनुल हसन

उद्देश्यपूर्ण जीवन का मनोविज्ञान



इस भौतिक जगत में कोई भी काम संसाधनों के बग़ैर और बिना मेहनत के संभव नहीं है। यहां जो जैसी मेहनत, संघर्ष और कोशिश करेगा उसे उसको वैसा ही फल मिलेगा। यह उम्मीद बेकार है कि हम काम कुछ न करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और नतीजा हमारे मन माफ़िक़ हो जाए। इन्सान जब मेहनत करता है तभी उसका फल पाता है। क़ुरआन में अल्लाह तआला कहता है–

''इन्सान कुछ हासिल नहीं करता, सिवाय इसके कि जिसकी उसने मेहनत की, और यह कि उसकी कोशिश जल्द ही देखी जाएगी, फिर उसका पूरा बदला उसे दे दिया जाएगा।''

(क़ुरआन, 53:39-41)

यह क़ुदरत का क़ानून है कि मेहनत, तैयारी और कोशिश के बग़ैर आप अपनी या अपने देश और समाज की क़िस्मत को संवार नहीं सकते। संघर्ष और मेहनत के रास्ते में कठिनाइयों, परेशानियों और आज़माइशों से सामना होना तय है, लेकिन इन्सान को हिम्मत नहीं हारना है, घुटने नहीं टेकना है और अपने मक़सद पर मज़बूती के साथ जमे रहना है।

क़ुरआन में अल्लाह तआला का कथन है–

''और हम ज़रूर तुम्हें डर, भूख, जान-माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े, तो कहें कि, ''हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलटकर जाना है'', उन्हें ख़ुशख़बरी दे दो। उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी, उसकी दयालुता उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं।''

(क़ुरआन, 2:155-157)

मनोविज्ञान के जानकार और विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि जिन लोगों की ज़िन्दगी में कोई मक़सद होता है वे बुरे से बुरे हालात में भी उठ खड़े होते हैं और जिसके पास कोई मक़सद नहीं होता वह ढेर हो जाता है, गिर जाता है और ख़त्म हो जाता।



अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि इन्सान अपने जीवन में कोई मक़सद पैदा करे। जिनके पास कोई मक़सद होता है वह ख़ौफ़ के हालात में भी ज़िन्दा रह सकते हैं और जिसके पास कोई मक़सद नहीं होता वह जीते, जी मर जाता है। मनोविज्ञान के जानकार और विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि जिन लोगों की ज़िन्दगी में कोई मक़सद होता है वे बुरे से बुरे हालात में भी उठ खड़े होते हैं और जिसके पास कोई मक़सद नहीं होता वह ढेर हो जाता है, गिर जाता है और ख़त्म हो जाता। क़ुरआन के साथ-साथ मनोविज्ञान के जानकार भी हमें यह बात बताते हैं कि जिस इन्सान, समूह या समूदाय के पास कोई ऊंचा मक़सद है तो वे ज़रूर उठ खड़े होंगे और बुरे से बुरे हालात भी उनका बाल बांका नहीं कर सकते।

ज़िन्दगी के मक़सद का मतलब एक तो यह है कि जब हम किसी समूह या संगठन से जुड़े होते हैं तो उसका एक सामूहिक मक़सद होता है। यह एक अलग बात है, लेकिन सवाल उठता है कि व्यक्तिगत तौर पर एक इन्सान का क्या मक़सद होना चाहिए? इस बारे में जानकारों की पहली राय यह है कि इन्सान के पास इंसानियत, समाज और देश के लिए कोई न कोई काम होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे इसकी खोज करनी चाहिए कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। हम अनाथों, ग़रीबों और बेसहारा लोगों की मदद कर सकते हैं। पढ़ाने का काम कर सकते हैं। पर्यावरण को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं।

करने के बहुत से काम हैं, इस दुनिया में ऐसे कामों की एक बहुत लंबी-चौड़ी सूची तैयार की जा सकती है, बशर्ते कि हमारी ज़िन्दगी का कोई अर्थ हो। जीवन में कोई प्रतिबद्धता, समर्पण और हौसला मौजूद हो। दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जो आपकी ज़िन्दगी को बामक़सद बना सकते हैं।

दूसरी बात यह कि ऐसा कोई अनुभव जो आपके पास हो वह दुनिया के सामने छोड़कर चले जाएं। विचार, चिंतन, दर्शन, कला एवं साहित्य ऐसी ही चीज़ें हैं, जिसमें आप देते कुछ नहीं हैं, लेकिन इसमें आपका एक बौद्धिक अनुभव होता है, जिससे लोगों को जीवन का अर्थ और हौसला मिलता है।

तीसरी महम्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्सान अपने आप पर यक़ीन रखता है और ख़ुद को जानता व पहचानता है, वह कभी भी निराश नहीं होता। वह जीवन में कभी हार कर बैठता नहीं। दुनिया उससे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन उसके हौसले और विचारों की उसकी आज़ादी को कोई उससे छीन नहीं सकता। यह वे विशेषताएं हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए।

हमें उमंग और हौसले वाला बनने की ज़रूरत है। हमें अपने मक़सद को याद रखने और हौसले को बनाए रखने की ज़रूरत है। हमें एक साथ जुड़ने और मतभेदों को दूर करने की ज़रूरत है। मुहब्बतों को बढ़ाने और नफ़रतों को कम करने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िन्दगी के माइने को जाने व पहचानें और उसमें मक़सद पैदा करें। किसी काम को करने की जो योग्यता या कौशल हमारे अंदर मौजूद नहीं है, हम उन्हें दूसरों से सीखें। हम पूरी मज़बूती, धैर्य और साहस के साथ धीरे-धीरे अपने क़दम आगे बढ़ाएं। हड़बड़ी और ज़ल्बाज़ी से दूर रहें। ये विशेषताएं ऐसी हैं जोकि अगर हमारे अंदर विकसित हो जांए तो आने वाले समय में हमारे भविष्य को उज्ज्वल होने से कोई नहीं रोक सकता। ■■



भुखमरी : सबसे बड़ी मानव त्रासदी

मुख्य स्तम्भ

सुफ़ियान अहमद

अकालग्रस्त सूडान में वर्ष 1993 में गिद्ध के सामने भूख से मरती एक छोटी लड़की की तस्वीर लेकर फ़ोटोग्राफ़र केविन कार्टर रातों-रात एक बड़ी हस्ती बन गए और इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिला, लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही केविन कार्टर ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे इस अपराध-बोध को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उन्होंने लड़की की जान बचाने के बजाय फ़ोटो लेना क्यों ज़रूरी समझा।

अगर हम वैश्विक महामारी और प्राकृतिक आपदा के इतिहास का अध्ययन करें तो पाएंगे कि इनसे होने वाली ज़्यादातर मौतें संसाधनों के अभाव के कारण नहीं, बल्कि सत्ता की लापरवाही और समृद्ध-वर्ग की संवेदनशून्यता के कारण हुई हैं। इस समय हमारे देश में न तो कोई अकाल है और न हमारे सामने किसी प्रकार के अनाज का ही संकट मौजूद है, लेकिन भूख से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। विकास का लाभ केवल कुछ लोगों को मिलना और उससे बहुत बड़ी आबादी का बाहर होना जैसी प्रवृत्तियां हमारी सामाजिकता और संवेदनशीलता पर बहुत से सवाल खड़े करती हैं। अपनी सफलता को लेकर अक्सर हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि सामाजिक सरोकारों को भूल जाते हैं।

एक लोक कल्याणकारी राज्य के समक्ष इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है कि बड़ी संख्या में उसके नागरिक भूख की चपेट में हों और इस त्रासदी से निपटने के लिए देश की शीर्ष अदालत को निर्देश देना पड़े। स्थिति यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार, दुनिया के 116 देशों के सबसे भूखे लोगों की सूची में हमारे सपनों का नया भारत 101वें स्थान पर क़ाबिज़ है। पिछले वर्ष, यानी 2020 में कुल 107 देशों में हमारा स्थान 94वें था। हैरानी की बात यह है कि जिस समस्या से लड़ना और उसे ख़त्म करना सरकार की पहली ज़िम्मेदारी होनी चाहिए थी, आज़ादी के 75 साल बाद भी वह इस मसले पर सवालों के घेरे में खड़ी है।

हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत की 58 प्रतिशत संपदा इस देश के सर्वाधिक अमीर एक प्रतिशत लोगों के पास है तो दूसरी ओर 21.9 प्रतिशत लोग ग़रीबी रेखा के नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये आंकड़े अमीरी और ग़रीबी की तीव्र विषमता को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। इस देश का सामान्य-जन केवल कल्पना ही कर सकता है कि इन एक प्रतिशत लोगों का अति-वैभवशाली जीवन-स्तर कैसा होगा! अफ़सोस कि यह विषमता हर वर्ष और गहरी होती चली जा रही है।

देश में ग़रीबी की मौजूदा चुनौती को रेखांकित करते हुए हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट भी स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। इस बहु-आयामी ग़रीबी सूचकांक (मल्टी-डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स या एमपीआई) में यह तथ्य सामने आया है कि देश में ग़रीबी सबसे बड़ी आर्थिक-सामाजिक चुनौती बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश



इस समस्या के निराकरण के लिए आधी-अधूरी और औपचारिक पहल से कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सकता। हो सकता है कि सामुदायिक रसोई की योजना का ठोस तरीक़े से क्रियान्वयन किया जाना इस दिशा में एक अच्छी पहल साबित हो जाए, लेकिन उचित यह होगा कि समाधान के कहीं अधिक प्रभावी तरीक़ों पर विचार किया जाए।

देश के सर्वाधिक ग़रीब आबादी वाले राज्य हैं। बिहार में 51.91 प्रतिशत, झारखंड में 42.16 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 36.65 प्रतिशत और मेघालय में 32.67 प्रतिशत आबादी ग़रीब है। इस सूचकांक के तहत केरल में 0.71 प्रतिशत, गोवा में 3.76 प्रतिशत, तमिलनाडु में 4.89 प्रतिशत और पंजाब में 5.59 प्रतिशत जनसंख्या ग़रीब पाई गई है। यह भी पता चला कि बिहार, यूपी और एमपी के कुछ ज़िलों में 64 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक लोग ग़रीब हैं। ये वे लोग हैं, जो प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक 375 रुपये से भी कम कमा रहे हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकारों की केवल यही चारित्रिक विशेषता बनकर रह गई है कि वे ज़मीनी हक़ीक़त से कोसों दूर रहें और केवल काग़ज़ों में और प्रचारों में ही देश का विकास करें? इसमें दो राय नहीं है कि कोरोना ने भारत में ग़रीबी और भूख की चुनौती को और बढ़ाया है और ग़रीबी के



मामले में देश को कई वर्ष पीछे धकेल दिया, लेकिन आंकड़ों से लेकर ज़मीनी तस्वीर तक यह बताती है कि भूख से मौतों को लेकर सरकारें कितनी चिंतित रही हैं। अंततः हमारी शीर्ष अदालत को साफ़ शब्दों में यह कहना पड़ा कि भूख से एक भी मौत न हो, यह सुनिश्चित करना एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है।

अदालत ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर सामुदायिक रसोई पर अखिल भारतीय नीति तैयार करने के लिए निर्देश भी दिए।

हो सकता है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपायों पर काम करे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक लोक कल्याणकारी सरकार को असहज करने के लिए काफ़ी नहीं है? इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में भूख की त्रासदी पर अदालतों को निर्देश देना पड़ रहा है। सवाल यह है कि नागरिकों को भोजन का अधिकार देने वाले क़ानून के लंबे समय से लागू होने के बावजूद आज भी देश में भूख से होने वाली मौतें क्यों बदस्तूर जारी हैं?

यदि इस समस्या पर सरकारों के अब तक के रवैये का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो यह समझना कठिन नहीं रह जाता कि भूख से मौतों की समस्या देश में अनाज, संसाधनों की कमी के कारण से है या फिर यह सरकारों की इच्छाशक्ति और अदूरदर्शिता का नतीजा है? सरकार को यह सोचना होगा कि आख़िर वे कौन से कारण हैं कि कुपोषण के मामले में बदतर हालत में होने के साथ-साथ वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारे देश की दशा दयनीय है।

यह सही है कि सामुदायिक रसोई जैसी व्यवस्था उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, जो किन्हीं कारणों से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाने में नाकाम होते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास आमदनी का नियमित ज़रिया हो, तो शायद उन्हें महज़ भूख मिटाने के लिए किसी व्यक्ति या सरकारी कार्यक्रम पर निर्भरता की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समस्या की जड़ों के तौर पर भूख की मार झेल रहे लोगों और समूहों के लिए नियमित रोज़गार और आय के अभाव के बारे में सोचना और उसे दूर करने को लेकर जो उत्साह दिखना चाहिए वह दिखता नहीं है। इस समस्या के निराकरण के लिए आधी-अधूरी और औपचारिक पहल से कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सकता। हो सकता है कि सामुदायिक रसोई की योजना का ठोस तरीक़े से क्रियान्वयन किया जाना इस दिशा में एक अच्छी पहल साबित हो जाए, लेकिन उचित यह होगा कि समाधान के कहीं अधिक प्रभावी तरीक़ों पर विचार किया जाए। ■■

ISLAMIC CENTRE VELLORE

"क्या तुम्हारे पास माल है?"
मैंने कहा, "जी हां।" आप (सल्ल०) ने कहा,
"किस प्रकार का माल है?" मैंने कहा कि
अल्लाह ने मुझे प्रत्येक प्रकार के माल से
सम्पन्न किया है। ऊंट, गायें, बकरियां और
घोड़े भी हैं और ग़ुलाम भी। आप (सल्ल०) ने
कहा, "जब ईश्वर ने तुझे धन प्रदान किया है
तो ईश्वर की नेमत का और उसने तुझे जो
इ़ज़्ज़त दी है उसका प्रभाव भी
दिखाई देना चाहिए।"
(हदीस : नसई)

अभिमत



डॉ. वेद प्रताप वैदिक

भारत में ग़रीबों की कितनी दुर्दशा ?

भारत में ग़रीबों की हालत कितनी शर्मनाक है। आज़ादी के 74 वर्षों में भारत में अमीरी तो बढ़ी है, लेकिन वह मुट्ठीभर लोगों और मुट्ठीभर जिलों तक ही पहुंची है। आज भी भारत में ग़रीबों की संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा है। हमारे देश के कई ज़िले ऐसे हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा लोगों को पेट भर रोटी भी नहीं मिलती। वे दवा के अभाव में ही दम तोड़ देते हैं। वे क ख ग भी न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं।

मैंने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी ज़िलों में लोगों को नग्न और अर्ध-नग्न अवस्था में घूमते हुए भी देखा है। रंगराजन आयोग का मानना था कि गांवों में जिसे 972 रु. और शहरों



मैंने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी ज़िलों में लोगों को नग्न और अर्ध-नग्न अवस्था में घूमते हुए भी देखा है। रंगराजन आयोग का मानना था कि गांवों में जिसे 972 रु. और शहरों में जिसे 1407 रु. प्रति माह से ज़्यादा मिलते हैं, वह ग़रीबी रेखा से ऊपर हैं। वाह क्या बात है? यदि इन आंकड़ों को रोजाना आमदनी के हिसाब से देखें तो 30 रु. और 50 रु. रोज़ भी नहीं बनते हैं। इतने रुपये रोज़ में आज किसी गाय या भैंस को पालना भी मुश्किल है।

में जिसे 1407 रु. प्रति माह से ज़्यादा मिलते हैं, वह ग़रीबी रेखा से ऊपर है। वाह क्या बात है? यदि इन आंकड़ों को रोजाना आमदनी के हिसाब से देखें तो 30 रु. और 50 रु. रोज़ भी नहीं बनते हैं। इतने रुपये रोज़ में आज किसी गाय या भैंस को पालना भी मुश्किल है।

दूसरे शब्दों में भारत के गरीब की जिंदगी पशुओं से भी बदतर है। विश्व भर के 193 देशों वाली ग़रीबी नापने वाली संस्था का कहना है कि यदि ग़रीबों की आमदनी इससे भी ज़्यादा हो जाए तो भी उसने जो 12 मानदंड बनाए हैं, उनके हिसाब से वे ग़रीब ही माने जाएंगे, क्योंकि कोरी बढ़ी हुई आमदनी उन्हें न तो पर्याप्त स्वास्थ्य-सुविधा, शिक्षा, सफ़ाई, भोजन, स्वच्छ पानी, बिजली, घर आदि मुहय्या करवा पाएगी और न ही उन्हें एक सभ्य इंसान की जिंदगी जीने का मौक़ा दे पाएगी।

दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत आमदनी के साथ-साथ जब तक पर्याप्त राजकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, नागरिक लोग संतोष और सम्मान का जीवन नहीं जी सकेंगे। सभी सरकारें ये सब सुविधाएं बांटने का काम भी करती रहती हैं। उनका मुख्य लक्ष्य तो इन सुविधाओं की आड़ में वोट बटोरना ही होता है, लेकिन जब तक भारत में बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम का भेदभाव नहीं घटेगा, यहां गरीबी खम ठोकती रहेगी। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, जो नागरिकों के मस्तिष्क और शरीर को सबल बनाते हैं।

जब तक ये सबको सहज और मुफ़्त न मिलें, हमारा देश कभी भी सबल, संपन्न और समतामूलक नहीं बन सकता। ऊपर दिए गए आंकड़ों के आधार पर आज भी आधे से ज़्यादा बिहार, एक-तिहाई से ज़्यादा झारखंड और उप्र तथा लगभग 1/3 म.प्र. और मेघालय ग़रीबी में डूबे हुए हैं। यदि विश्व ग़रीबी मापन संस्था के मानदंडों पर हम पूरे भारत को कसे तो हमें मालूम पड़ेगा कि भारत के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 100 करोड़ लोग वंचितों, ग़रीबों, कमज़ोरों और ज़रुरतमंदों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। पता नहीं, इतने लोगों का उद्धार कैसे होगा और कौन करेगा? ■■

(डॉ. वैदिक के ब्लॉग से साभार)

और हम (अल्लाह) ने तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़े के रूप में पैदा किया। (क़ुरआन, 78:9)

अगर आप को दीनदार और तहरीकी घराने में अपने जोड़े की तलाश है तो

साप्ताहिक कान्ति

आपकी सेवा के लिए हाज़िर है।

ज़रूरते रिश्ता

का इश्तिहार बुक कराने के लिए सम्पर्क करें :

Naiem Khan, Manager - Dawat Trust

D-314, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave,

Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025

Mobile : +91 9891160829

Email : mgrdawat@gmail.com



हमारे देश में भूख की राजनीति और राजनीति की भूख दोनों ही पाई जाती है। राजनीतिक दल दूसरे पर बढ़ती भुखमरी का आरोप लगाते हैं, पर सत्ता परिवर्तन के बाद भूखमरी पहले से अधिक बढ़ जाती है। सरकार अरबों रुपए लुटाती है और लाखों लोगों का रोज़गार चमकता है, ज़ाहिर है, भूख को ज़िन्दा रखना ज़रूरी है। दुष्यंत कुमार की एक कविता है, 'भूख है तो सब्र कर'। यह कविता देश का एक कालजयी प्रतिबिम्ब है।

कविता

भूख है तो सब्र कर

दुष्यंत कुमार

भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ
आजकल दिल्ली में है ज़ेरे-बहस ये मुद्दआ।

मौत ने तो धर दबोचा एक चीते कि तरह
ज़िंदगी ने जब छुआ तो फ़ासला रखकर छुआ।

गिड़गिड़ाने का यहां कोई असर होता नहीं
पेट भरकर गालियां दो, आह भरकर बद्दुआ।

क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज़ लगती है यहां
लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुंआ।

आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को
आपके भी ख़ून का रंग हो गया है सांवला।

इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो
जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुंआ।

दोस्त, अपने मुल्क कि क़िस्मत पे रंजीदा न हो
उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ।

इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात
अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियां।





समाधान

डॉ. फ़रहत हुसैन

ज़कात ग़रीबी उन्मूलन का कारगर उपाय

इस्लाम में नमाज़ के बाद एक बड़ा स्तंभ ज़कात है। ज़कात समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की सहायता के लिए एक अनिवार्य दान है। यह दान प्रत्येक धनी मुस्लिम को अपने जमा धन में से ढ़ाई प्रतिशत देना होता है। इस्लाम इसे भीख या टैक्स के रूप में नहीं बल्कि सम्पन्न के धन में ग़रीब एवं वंचित के अधिकार के रूप में देखता है।

आर्थिक दौड़ में जो लोग किसी कारणवश पिछड़ जाएं या किसी हादसे का शिकार होकर कमाने और अपने जीविकोपार्जन की शक्ति खो बैठें या घर में कमाने वाला चल बसे और पीछे असहाय विधवा व अनाथ बच्चे रह जाएं, तो उनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने का यह एक सामाजिक बीमा है।

इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपनी कमाई में से इस दान के द्वारा मनुष्य के भीतर बलिदान और त्याग का एक गुण पैदा होता है। उसमें तंगदिली व धन का जो लोभ होता है वह निकलता है और दीन-दुखियों एवं ग़रीबों के प्रति एक हमदर्दी की भावना पैदा होती है, जोकि मानवाता का एक सबसे बड़ा गुण है।

इस्लाम में ज़कात एक इबादत (भक्ति) है, लेकिन आर्थिक जगत के लिए यह एक ऑक्सीजन (प्राणवायु) के समान है। जिस प्रकार इन्सान को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसी प्रकार सामाजिक क्रियाओं के लिए आर्थिक जगत में धन की आवश्यकता होती है। ज़कात के माध्यम से समाज व बाज़ार में धन का प्रवाह होता है। जो लोग सम्पन्न नहीं हैं उनके हाथों में सम्पन्न लोगों के माध्यम से धन पहुंचता है। इससे बाज़ार में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है, जिससे उत्पादन तथा रोज़गार में वृद्धि होती है और समाज में आर्थिक ख़ुशहाली आती है।

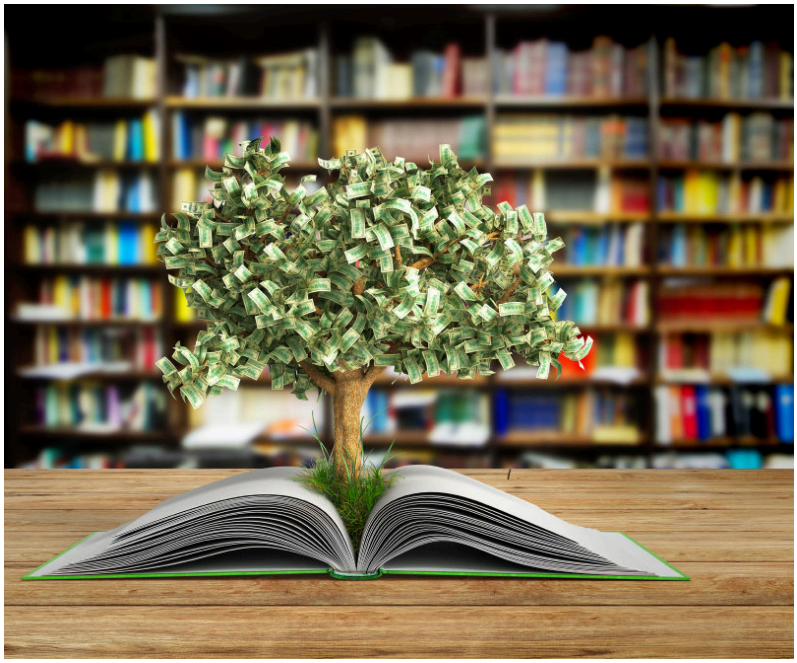
इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि प्रतिवर्ष सम्पन्न लोगों के धन से लगभग ढाई प्रतिशत हिस्से का जो प्रवाह ग़रीबों की ओर होता है, तो इससे अमीर व ग़रीब के बीच का अंतर, जिसे हम आर्थिक असमानता कहते हैं, वह धीरे-धीरे घटने लगती है। वर्तमान समय में आर्थिक असमानता की खाई का बढ़ना पूरी दुनिया के अन्दर एक आर्थिक समस्या के रूप में सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। इस समस्या का एक समाधान यह ज़कात प्रस्तुत करती है। ■■

शिक्षा विमर्श

संपादन प्रभाग

‘उपयोगितावादी’ शिक्षा से कैसे हो चरित्र निर्माण?

नैतिक शिक्षा में छात्रों को सत्य, क्षमा, दया, ईमानदारी, त्याग और अहिंसा जैसी बड़ी-बड़ी बातें बताने से कुछ ख़ास हासिल नहीं होने वाला जब तक हम उन्हें इन आदर्शों को जीवन में उतारने का अवसर न प्रदान करें। बच्चों की सहज बुद्धि में व्यावहारिक सच्चाइयां अधिक सहजता से प्रवेश करती हैं। कोरे उपदेश उन्हें प्रभावित नहीं करते। कोरे उपदेश उन्हें प्रभावित कर सकते तो आज समाज में इतनी बेईमानी और इतना भ्रष्टाचार न फैला होता।



“सच्ची शिक्षा वह है जो नैतिक मूल्यों और विनम्रता, अनुशासन, निस्वार्थता, करुणा, सहिष्णुता, क्षमा और आपसी सम्मान के गुणों को आत्मसात करे। दुर्भाग्य से, आधुनिक शिक्षा प्रणाली केवल उपयोगितावादी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है और ऐसी प्रणाली शिक्षा के उस नैतिक या आध्यात्मिक पहलू के लिहाज से सुसज्जित नहीं हैं जो छात्रों का चरित्र निर्माण करे और उनमें सामाजिक चेतना तथा ज़िम्मेदारी की भावना विकसित करे। अपने जीवन में आपको विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से निपटना होगा, जो कभी-कभी आपको चुनौती दे सकते हैं, मगर आपको सहिष्णु बनना होगा। जीवन की इस यात्रा से गुज़रते हुए कुछ मूल मूल्यों को पकड़ें और उन सभी समृद्धि का अनुभव करें जो यह आपको प्रदान कर सकती है। शिक्षित व्यक्तियों के रूप में आप पर समाज को समृद्ध करने की ज़िम्मेदारी है और आपकों अपने आसपास के सभी लोगों को शिक्षित करना चाहिए और लोगों, समुदायों और समाजों को सशक्त बनाना चाहिए।’’

उपर्युक्त विचार भारत के प्रधान न्यायाधीश माननीय श्री एनवी रमण (CJI NV Ramana) जी के हैं, जोकि हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रखे। उनके इन विचारों में आधुनिक शिक्षा के मूल्यविहीन होते जाने की चिंता स्पष्ट रूप से झलकने के साथ-साथ इसमें मूल प्रश्न यह भी छुपा हुआ है कि आख़िर हमारी शिक्षा प्रणाली मूल्यविहीन क्यों होती जा रही है? क्या कारण है कि हमें छात्रों के चरित्र निर्माण में अपेक्षित

सफलता नहीं मिल नहीं पा रही है? आमतौर पर हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो यह समझा जाता है कि इससे हम वह ज्ञान या कौशल अर्जित करते हैं, जिसके आधार पर हमें कोई रोज़गार हासिल हो जाए।

शिक्षा, ज्ञान और कौशल का देश व समाज के लिए विशेष महत्व होता है, क्योंकि एक शिक्षित राष्ट्र ही अपने भविष्य को संवारने में सक्षम हो सकता है। आज कोई भी देश विज्ञान और तकनीक की महत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकता, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग है। इसलिए उपयोगितावादी या वस्तुपरक शिक्षा हर क्षेत्र में उपयोगी है, लेकिन जीवन में केवल भौतिक विकास या सुख सुविधाएं ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। जीवन की भौतिक दशा सुधारने के लिए जीवन मूल्यों को आत्मसात करते हुए भी हम उन्नति की सही राह चुन सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि हम अपने जीवन के नैतिक मूल्यों का त्याग कर दें।

हम देखते हैं कि नैतिक मूल्यों का पतन होने से समाज में हर प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। हम यह भी देखते हैं कि मूल्यविहीन समाज में असंतोष फैल रहा है। इन असंतोषों के परिणामस्वरूप हमारे सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां खड़ी दिखाई देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में इस बात पर आत्ममंथन किया जाना ज़रूरी हो जाता है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है? यदि शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है तो दोष कहां है? आख़िर कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है जो ग़लत है, जिस कारण हम नैतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। समस्या तब और बढ़ जाती है जब सही को ग़लत और ग़लत को सही ठहराने का प्रयास होने लगता है।

यदि आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर गहराई से विचार किया जाए तो स्पष्ट रूप से इसमें ख़ामियां नज़र आती हैं। यह ठीक है कि इस शिक्षा प्रणाली में भी कुछ लोग सफल हो गए, उनके भाग्य ने साथ दे दिया, लेकिन यदि गहराई से विचार किया जाए तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बुनियाद ही ग़लत है। हम हर



समय चीज़ों को भौतिकतावादी नज़रिये से नहीं देख सकते। रोज़गारपरक होने के साथ ही इसकी नींव नैतिक मूल्यों पर रखी जानी चाहिए। यदि शिक्षा व्यवस्था में सचमुच सुधार लाना है तो शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश ज़रूरी है।

आधुनिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश भी होना चाहिए न कि पढ़-लिखकर केवल धन कमाना ही इसका उद्देश्य बनकर रह जाए। शिक्षा प्राप्ति की एक ऐसी सुविचारित नीति होनी चाहिए जिसमें छात्र-छात्राओं को यह पता होना चाहिए कि जीने के मार्ग अनेक हैं तथा उस मार्ग को ही चुनना ज़्यादा अच्छा होगा जोकि इन्सान की इन्सानियत और उसके स्वभाव के अनुकूल हो।

नैतिक शिक्षा में छात्रों को सत्य, क्षमा, दया, ईमानदारी, त्याग और अहिंसा जैसी बड़ी-बड़ी बातें बताने से कुछ ख़ास हासिल नहीं होने वाला जब तक हम उन्हें इन आदर्शों को जीवन में उतारने का अवसर न प्रदान करें। बच्चों की सहज बुद्धि में व्यावहारिक सच्चाइयां अधिक सहजता से प्रवेश करती हैं। कोरे उपदेश उन्हें प्रभावित नहीं करते। कोरे उपदेश उन्हें प्रभावित कर सकते तो आज समाज में इतनी बेईमानी और इतना भ्रष्टाचार न फैला होता।

शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों को जोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों के लगातार भारी होते हुए बस्तों में एक और किताब का बोझ डाल दिया जाए। इससे उनके जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आ सकता क्योंकि बच्चे समझते हैं कि यह भी एक विषय है, जिसमें अच्छे अंक लाने होंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम एक अच्छे माहौल में, विद्यालय परिसर को जीवन की एक प्रयोगशाला बनाकर शिक्षा को नैतिक उद्देश्यों के साथ जोडें। पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों को इस प्रकार जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि शिक्षा बोझिल हो जाए। सदाचार की वे बातें जो सर्वमान्य हैं, विद्यार्थियों के जीवन में उन्हें समाहित कर हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। विद्यालय स्तर से ही यदि इस प्रकार के प्रयास किए जाएं तो निश्चित ही शिक्षा का अस्ल मक़सद पूरा हो सकेगा। ■■

"तुममें
से कोई
मोमिन नहीं होता
जब तक कि वह अपने भाई
के लिए या यह कहा कि अपने
पड़ोसी के लिए वही कुछ पसन्द न
करे जो वह स्वयं अपने लिए
पसन्द करता है।"

(हदीस : मुस्लिम)

Nidan Health Care &

Research Centre

विशेष



विभा त्रिपाठी

(विश्व मानवाधिकार दिवस पर विशेष)

मानवाधिकारों के कुछ अनछुए पहलू

क्या समय के साथ यह भी महसूस किया गया है कि कुछ नए मानवाधिकारों को भी मान्यता देने की आवश्यकता है? क्या कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जो अब तक अनछुए हैं? क्या मानवाधिकारों की इस लंबी विकास यात्रा में कुछ ऐसे भी पड़ाव हैं, जहां विभिन्न मानवाधिकारों के बीच ही एक संघर्ष की स्थिति बन गई है?

मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अस्तित्व में आने के 73वें वर्ष में भी भारतीय संदर्भों में इसकी विवेचना उतनी ही प्रासंगिक है, जितना आरंभिक वर्षों और दशकों में महसूस होती थी। इसकी वजह यह नहीं कि यहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, बल्कि यह कि जब भी मौक़ा आता है कोई विशेष राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का, तब वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवसर होता है मूल्यांकन का, विमर्श और वैचारिकता का। ताकि जान सकें कि हमने अभी तक क्या प्राप्त किया है? और ऐसा क्या है, जिसे अब भी प्राप्त किया जाना बाक़ी है?



आज से कई वर्ष पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केजी बालकृष्णन ने मानवाधिकार दिवस के मौक़े पर कहा था कि लगातार राज्य सरकार और उसके प्रवर्तन तंत्र द्वारा निरंतर ऐसे प्रगतिशील प्रयास किए जा रहे हैं, जो मानवाधिकारों का संरक्षण कर रहे हैं और विभिन्न कार्य विधियों का निरीक्षण हो रहा है। ऐसी सामाजिक कुरीतियां और प्रथाएं चलन से बाहर हो रही हैं, जिन्हें मानवीय गरिमा का विरोधी पाया जाता रहा है। फिर भी बहुत कुछ ऐसा है, जिसे किया और पाया जाना अभी बाक़ी है।

मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा-पत्र जहां मानव परिवार के समस्त सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा तथा उनके सम्मान और अधिकारों की मान्यता, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार बना, वहीं बाद में यह



अनुभव किया गया कि इसमें उल्लिखित एक से तीस अनुच्छेदों में जिन अधिकारों को संरक्षित और संवर्धित करने की बात कही गई है, उन सबके लिए क्रमश: विशिष्ट घोषणा-पत्र अभिसमय, प्रसंविदाएं, ऐच्छिक संदेशाचार, नियमावलियां और मार्गदर्शिकाएं, भी बनाई गईं ताकि उनको विशिष्ट रूप से हस्ताक्षरित और अंगीकृत करने वाले राज्य पक्षकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सके कि वह अपने राज्य में इस बाबत विधियां बनाएं और सभी मनुष्यों के मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए यथोचित प्रयास करें।

पर जब भी राज्य विशेष के संदर्भ में मानवाधिकारों की बात की जाती है तो प्रश्न उठता है राज्य के विभिन्न अभिकरणों का, जिसे मूल रूप से प्रवर्तन तंत्र कहा जाता है, उनके द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है? क्या ख़ामियां हैं? क्या सीमाएं हैं? क्या परेशानियां हैं? और किस प्रकार उन्हें दूर किया जा सकता है? और क्या समय के साथ यह भी महसूस किया गया है कि कुछ नए मानवाधिकारों को भी मान्यता देने की आवश्यकता है? क्या कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जो अब तक अनछुए हैं? क्या मानवाधिकारों की इस लंबी विकास यात्रा में कुछ ऐसे भी पड़ाव हैं, जहां विभिन्न मानवाधिकारों के बीच ही एक संघर्ष की स्थिति बन गई है?

ज़िम्मेदारी और जवाबदेही मात्र शब्द नहीं, बल्कि वह बोध है, जिसका अभाव होने पर हर मानव-अमानव है और हर संस्था अमानवीय। विश्वास से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है विश्वास पर खरे उतरने का सच्चा प्रयास। न्याय की संकल्पना को यथार्थवादी धरातल पर पहुंचाने के लिए समग्र प्रयास और समेकित पहल की आवश्यकता है। इसकी पुरज़ोर वकालत वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने संविधान दिवस के मौक़े पर की थी। उन्होंने न्याय प्रदाताओं पर होने वाले हालिया आक्रमणों पर भी चिंता ज़ाहिर की। अब तक जहां केवल मीडिया, ख़ासकर सोशल मीडिया, आक्रामक रहता था, वहीं अब न्यायाधीशों पर होने वाले शारीरिक हमले गंभीर विवेचना का विषय बन गए हैं।

ऐसी महिलाएं, जिन पर माओवादियों के साथ होने का आरोप लगाकर गिरफ़्तार किया जाता है, उनको पुलिस हिरासत में विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, उनका यौन शोषण होता है और कई वर्षों बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी भी कर दिया जाता है। उनके मानवाधिकारों का क्या हासिल है? यह एक गंभीर प्रश्न है।

बात जब विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन क़ैदियों या दोष सिद्ध क़ैदियों की होती है और जहां एक तरफ़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यह पहल कि विधि के छात्रों के बीच सार्वजनिक सेवा की भावना को बढ़ावा देकर विधिक सहायता प्रणाली के माध्यम से दिल्ली में क़ैदियों को न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई प्रायोगिक परियोजना एक राहत भरी ख़बर बनती है, वहीं जेलों में बंद विचाराधीन क़ैदियों या दूसरे क़ैदियों के मानवाधिकारों से इतर कुछ और गंभीर

प्रश्न उठते हैं। मसलन, उन पर निर्भर रहने वाले बच्चों के मानवाधिकार का प्रश्न, जो बिना किसी ग़लती के अपने आरोपित माता-पिता के क़ैद में जाने मात्र से महरूम हो गए हैं अपने मौलिक और स्वाभाविक मानवाधिकारों से। कैसे हो उनका संरक्षण? कौन-सी नीति बने उनके लिए? यह प्रश्न गंभीर है और विचारणीय भी।

देश की विभिन्न जेल आचार-संहिताएं जहां इस बात की व्यवस्था करती हैं कि किसी महिला के बंदी होने की स्थिति में उसके बच्चे छह वर्ष की उम्र तक उसके साथ रह सकते हैं, वह प्रावधान एक मानवाधिकार का संरक्षण है, तो अन्य मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है। क़ानून सात वर्ष से ऊपर के बालकों के अभियोजन, विचारण और निरुद्धि के लिए विशेष प्रावधान करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि किशोरवय के किसी बालक को वयस्क अपराधियों की संगति में न रखा जाए। वहीं इस बात के पुख़्ता प्रमाण होने के बाद भी कि बच्चों की सीखने की क्षमता का सर्वाधिक विकास उनके गर्भ में आने की अवधि से एक हज़ार दिनों तक होता है, छह वर्ष तक महिला जेल में अपनी मां और अन्य महिला क़ैदियों की संगति में रखना कितना प्रासंगिक है?

यहां इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी थी कि मानवाधिकारों की चयनात्मक विवेचना न की जाए और यह कहना कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तब होता है जब उन्हें राजनीति और राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से देखा जाता है। इसी मौक़े पर मानवाधिकार आयोग के हवाले से यह जानकारी दी जाती है कि 1993 में स्थापित आयोग अपनी स्थापना के 28 वर्ष पूरे होने तक बीस लाख से अधिक मामलों का निपटारा कर चुका है और 205 करोड़ से अधिक का भुगतान मौद्रिक राहत के रूप में किया जा चुका है। पर अपने योगदान पर गर्व करते हुए आयोग का ख़ुद को एक दंतविहीन शेर की संज्ञा देना भी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

जब भी राज्य विशेष के संदर्भ में मानवाधिकारों की बात की जाती है तो प्रश्न उठता है राज्य के विभिन्न अभिकरणों का, जिसे मूल रूप से प्रवर्तन तंत्र कहा जाता है, उनके द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है? क्या खामियां हैं? क्या सीमाएं हैं? क्या परेशानियां हैं? और किस प्रकार उन्हें दूर किया जा सकता है? और क्या समय के साथ यह भी महसूस किया गया है कि कुछ नए मानवाधिकारों को भी मान्यता देने की आवश्यकता है? क्या कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जो अब तक अनछुए हैं? क्या मानवाधिकारों की इस लंबी विकास यात्रा में कुछ ऐसे भी पड़ाव हैं, जहां विभिन्न मानवाधिकारों के बीच ही एक संघर्ष की स्थिति बन गई है?

मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा मानवाधिकार के जो मुद्दे उठाए गए, उनमें से कुछ का ज़िक्र प्रासंगिक है। जैसे, लोगों को सस्ती क़ीमत पर त्वरित न्याय के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक नीतियां, पुलिस जांच प्रणाली को मज़बूत करना, ग़रीबों को सस्ती क़ीमतों पर जीवन-रक्षक दवाएं उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसी दवाओं और टीकों के पेटेंटधारकों के अधिकारों के बजाय जीवन के अधिकार को महत्त्व दिया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस वर्ष मानवाधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर छह अध्ययन कराए जाने हैं, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की खाद्य सुरक्षा, बच्चों के साइबर शोषण का विस्तार और कार्यबल में महिलाओं की गिरती भागीदारी तथा एलजीबीटी समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन का विषय प्रमुखता से लिया गया है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि मानव अधिकारों की इस लंबी यात्रा में कुछ मिला है और कुछ बाक़ी है यानी थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। सभी के और समस्त मानवाधिकारों के बीच संतुलन, संवर्धन और संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मज़बूत रहनी चाहिए।

(साभार : जनसत्ता)

■■

विधान



क़ुदसिया
सबाहत

मानवाधिकारों की संकल्पना और इस्लाम



समाज में रहते हुए एक अच्छी और ख़ुशहाल ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए इन्सान को कुछ बुनियादी अधिकारों की ज़रूरत होती है। ऐसे अधिकार जो हर इन्सान को जीवन में विकास के अवसर प्रदान कर सकें। इसलिए हर दौर में मानवाधिकारों को लेकर बहस और वाद विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर इन्सानियत का झंडाबरदार कोई भी समूह आज तक पूरी दुनिया के सभी इन्सानों को समान अधिकार उपलब्ध नहीं कर सका।

इसके विपरीत जब हम इस्लाम पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि यहां हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े समुदाय, धर्म रंग और नस्ल से संबंध रखने वाले इन्सानों के लिए अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार पहले से ही तय कर दिए गए हैं। इस्लाम ने मानवाधिकारों का ऐसा सर्वमान्य संदेश दिया है जोकि मानवाधिकारों की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने न तो अब तक दिया है और न ही दे सकती है। इस्लाम शुरू से ही सभी इन्सानों को एक दूसरे का भाई क़रार देता है और इस रिश्ते और मुहब्बत का एहसास दिला कर एक दूसरे के अधिकारों और कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है।

क़ुरआन में कहा गया है–''लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस अल्लाह (ईश्वर) से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक़ मांगते हो, और नाते-रिश्तों के संबंधों को बिगाड़ने से बचो। यक़ीन जानो की अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है।''

(क़ुरआन, 4:1)

एक और स्थान पर कहा गया है कि–''लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और बिरादरियां बना दीं ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुममें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। यक़ीनन

इस्लाम किसी भी व्यक्ति को इस बात की अनुमति नहीं देता कि वह दूसरे व्यक्ति की गरीमा और सम्मान को ठेस पहंचाने की कोशिश करे या उसे नुक़सान पहुंचाए। इस्लाम ने एक दूसरे का मज़ाक़ उड़ाने, एक दूसरे को बुरे उपनामों से पुकारने और पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करने से स्पष्ट रूप से मना किया है।



अल्लाह सब कुछ जानने वाला और ख़बर रखने वाला है।''

(क़ुरआन, 49:13)

इस्लाम ने इन्सानियत की बुनियाद पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हरेक के लिए अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे बराबरी का अधिकार। इस्लामी शिक्षाएं इन्सान को रंग, नस्ल और ज़ात की ऊंच नीच से ऊपर उठाकर हरेक को बराबर क़रार देती हैं। हदीस में आता है किसी भी इन्सान को किसी दूसरे इन्सान पर रंग, भाषा या नस्ल के आधार पर कोई वरीयता हासिल नहीं है। दुनिया के सभी इन्सान एक आदम की सन्तान हैं और उनकी श्रेष्ठता का आधार केवल उनके कर्म हैं।

इसी प्रकार इस्लाम इन्सानों को एक दूसरे की जान, माल और इज़्ज़त की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सौंपता है। इस्लाम सिखाता है कि सभी इन्सान किस तरह एक दूसरे की सुरक्षा का काम अंजाम दें।

क़ुरआन में ईश्वर का कथन है– ''इसी कारण इसराईल की सन्तान के लिए हमने यह आदेश लिख दिया था कि 'जिसने किसी इन्सान को क़त्ल के बदले या ज़मीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से क़त्ल कर डाला उसने मानो सारे इन्सानों को क़त्ल कर दिया और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन-दान किया।' मगर उनका हाल यह है कि हमारे रसूल (संदेशवाहक) निरन्तर उनके पास खुले-खुले निर्देश लेकर आए फिर भी उनमें अधिकतर लोग धरती में ज़्यादतियां करने वाले हैं।'' (क़ुरआन, 5:32)

इसी प्रकार धन की सुरक्षा के संबंध में कहा गया–

''और तुम लोग न तो आपस में एक दूसरे के माल अवैध रूप से खाओ और न अधिकारी व्यक्तियों के आगे उनको इस ग़रज़ से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जान-बूझकर अन्यायपूर्ण तरीक़े से खाने का अवसर मिल जाए।''(क़ुरआन, 2:188)

इस्लाम किसी भी व्यक्ति को इस बात की अनुमति नहीं देता कि वह दूसरे व्यक्ति की गरीमा और सम्मान को ठेस पहंचाने की कोशिश करे या उसे नुक़सान पहुंचाए। इस्लाम ने एक दूसरे का मज़ाक़ उड़ाने, एक दूसरे को बुरे उपनामों से पुकारने और पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करने से स्पष्ट रूप से मना किया है।

इस्लाम ने जिस तरह इन्सानी बराबरी की शिक्षा दी है उसी तरह

इन्सानों के बीच हर मामले में इन्साफ़ करने की शिक्षा भी दी है। इस्लाम ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि चाहे किसी मामले में नुक़सान ही क्यों न उठाना पड़े, लेकिन इन्साफ़ के रास्ते को ही अपनाओ।

क़ुरआन में कहा गया है–''ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए औचित्य पर क़ायम रहने वाले और इन्साफ़ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि इन्साफ़ से फिर जाओ। इन्साफ़, यह ईशभक्ति और विनम्रता के अधिक अनूकूल है। अल्लाह से डरकर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे पूरी तरह जानता है।''

(क़ुरआन, 5:8)

इस्लाम ने जिस तरह हर इन्सान को इन्साफ़ पर क़ायम रहने पर ज़ोर दिया है उसी तरह इस्लाम ने हर इन्सान को ज़ुल्म व अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का अधिकार भी दिया है। अत्याचारियों पर रोक लगाने और पीड़ितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए इस्लाम ने खुले तौर पर हर इन्सान को इस बात की इजाज़त दी है कि वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। चाहे वह किसी भी तबक़े से संबंध रखता हो। क़ुरआन साफ़ तौर पर ऐलान करता है–

''अतः जो तुम पर हाथ उठाए तुम भी उसी तरह उस पर हाथ उठाओ। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और यह जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है, जो उसकी सीमाओं को तोड़ने से बचते हैं।''

इस्लाम एक ओर जहां अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात करता है वहीं वह औरतों, बच्चों और कमज़ोरों के अधिकारों की सुरक्षा का खुले तौर पर समर्थन करता है। पहले औरतों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, इस्लाम ने उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। इस्लाम ने औरत को मां, बेटी, बहन और पत्नी के रूप में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का कथन है–''तुम में सबसे बेहतर वह है, जो अपनी औरतों के लिए सबसे बेहतर है।''

इस्लाम ने औरत को जहां समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया वहीं विरासत और भरण पोषण का अधिकार भी उसे दिया। साथ ही मर्द को यह ज़िम्मेदारी दी कि वह औरतों के भरण-पोषण और अन्य ज़रूरतों को पूरा करे। औलाद के संबंध में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि लोग ग़रीबी की वजह से अपनी औलाद की हत्या न करें। इसके अलावा ग़ुलामों और अनाथों के अधिकारों पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है। हज़रत मुहम्मद(सल्ल.) का कथन है-''तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, तो उनके साथ भलाई का व्यवहार करो। उनसे मदद लो उन कामों में जो तुम न कर सको और उनका हाथ बटाकर उनकी मदद करो, उन कामों में जो ये ख़ुद न कर सकें।''

इसी प्रकार अनाथों के संबंध में आप (सल्ल.) का कथन है–''मुसलमानों में सबसे अच्छा घर वह घर है, जिसमें किसी अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और मुसलमानों में सबसे बुरा घर वह घर है, जिसमें किसी अनाथ के साथ बुरा व्यवहार किया जाए।''

संक्षेप में कहा जाए तो इस्लाम ने जीवन के हर क्षेत्र में इन्सानों के लिए एक कार्यक्षेत्र का निर्धारण कर दिया है और धर्म व जाति का भेद किए बिना हरेक को समान अधिकार प्रदान किए हैं। इस्लाम द्वारा प्रदान किए गए मानवाधिकारों के इस संक्षिप्त अध्ययन से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम में बुनियादी अधिकारों की अवधारणा इन्सान के आदर, सम्मान और उसकी गरिमा पर आधारित है और यही मानवाधिकार एक शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में मददगार साबित हो सकते हैं बशर्ते कि इन पर ठोस तरीक़े से अमलदरामद की कोशिश की जाए। ■■



भविष्य



तसनीम फ़रज़ाना

बच्चों के प्रति हमारी ज़िम्मेदारियां

'बच्चे फूल जैसे होते हैं' इस कथन के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि बच्चे फूल की तरह प्यारे और किसी भी घर या समाज की रौनक़ होते हैं। दूसरा पहलू यह है कि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से संवेदनशील और कोमल होते हैं। इसलिए उन्हें मां-बाप और समाज की ओर से ख़ास ख़्याल, प्यार और सुरक्षा की ज़रूरत होती है। किसी देश के बच्चे ही उस देश का भविष्य होते हैं। बच्चों के हितों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य की देखभाल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था किसी भी देश का पहला मक़सद होना चाहिए।

यदि हम गहराई से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि बच्चे हमारे समाज में एक पीड़ित वर्ग के रूप में हैं। एक ओर जहां बच्चे खेल-कूद, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे बाल श्रम, बेगार, अपहरण और यौन हिंसा जैसे घिनौने अपराधों के शिकार हैं।



भारत के संविधान में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित क़ानूनी प्रावधान मौजूद हैं। दुनिया के बहुत से देशों ने बच्चों के अधिकारों के हवाले से मौजूद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, लेकिन इन समझौतों पर वास्तविक रूप से अमलदरामद नहीं हो पाता। हमारे देश के संविधान में भी बच्चों के हितों की सुरक्षा से संबंधित क़ानूनी प्रावधानों के बावजूद इन पर अमलदरामद न के बराबर है। इसका नतीजा यह है कि हमारा समाज सामूहिक रूप से बच्चों के लिए बेहद असुरक्षित बनकर रह गया है। आए दिन बच्चों साथ यौन हिंसा, शोषण और हत्या की ख़बरें मीडिया में

आती रहती हैं।

बच्चों के शोषण और उन पर हिंसा के कई रूप हैं। जैसे घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और बच्चों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करना आदि। बच्चों पर किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर उनमें इसके कई प्रकार के शारीरिक व मानसिक दुष्परिणाम सामने आते हैं। हमारे देश में बच्चे कुल आबादी का एक तिहाई से भी अधिक हैं, लेकिन इनके हितों को कभी वरीयता नहीं दी गई। आए दिन उनके अधिकरों का उल्लंघन होता रहता है। हालिया दिनों में उन पर कोविड-19 का असर भी पड़ा है। कोविड-19 का बच्चों पर असर इस प्रकार पड़ा है कि उनकी शैक्षिक गतिविधियां ठप पड़ गईं और उन पर मानसिक दबाव बढ़ गया है।

हालिया अगस्त तक दुनिया भर में एक अरब से ज़्यादा बच्चे शैक्षिक संस्थाएं बंद होने से अब भी प्रभावित हैं। बच्चों के लिए बनाए गए क़ानूनी प्रावधानों का मक़सद बच्चों पर होने वाली हिंसा व अत्याचार का ख़ात्मा, उनकी अच्छी से अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था और उनसे कड़ी मेहनत व मज़दूरी जैसे कामों की रोकथाम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनकी अच्छी शिक्षा व संस्कार ही एक अच्छे समाज का निर्माण है। एक स्वस्थ व मज़बूत पेड़ ही स्वादिष्ट फल और ख़ुशबुदार फूल दे सकता है।

वर्तमान समय में बच्चों के अधिकारों को लेकर पश्चिमी दुनिया समेत पुरी दुनिया में जो सक्रियता दिखाई दे रही है और जानकार इस संबंध में जिस प्रकार संवेदनशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं की ओर जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और हर साल इस हवाले से जो विभिन्न क़ानून बनाए जा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो आज से साढ़े चौदह सौ साल पहले जब इंसानियत अज्ञानता के घटाटोप अंधेरों में भटक रही थी, उसी वक़्त इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने बच्चों की अहमियत और उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में जो नियम व दिशा-निर्देश दिए वे रहती दुनिया तक आने वाली नस्लों के लिए बेहद मूल्यवान हैं।



हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने बच्चों के साथ दया और प्रेम का जो व्यवहार अपनाया वह समाज के लिए एक मिसाल है और हम सबके लिए मार्गदर्शन भी। इस्लाम बच्चों की बेहतर शिक्षा और उनके बेहतर प्रशिक्षण की एक अनुपम व्यवस्था प्रस्तुत करता है। इस्लाम ने बच्चों की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से क़दम-क़दम पर मां-बाप और अभिभावकों की ज़िम्मेदारियों को विस्तृत रूप से बयान किया है।

बच्चों की शैक्षिक, आर्थिक और समाजी ज़रूरतों के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें भी बेहद महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य हैं। मां-बाप को चाहिए कि वे न सिर्फ़ वच्चे की शैक्षिक व आर्थिक ज़रूरतों की ओर ध्यान दें बल्कि बच्चों की समाजी और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को भी समझें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का मुनासिब इन्तेज़ाम करें। दिन भर में कुछ समय बच्चों के लिए निकालें, उनके साथ बातचीत करें। उनके साथ प्यार मुहब्बत से पेश आएं, उनसे उनकी परेशानी पूछें और उसे हल करने की कोशिश करें। वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि मां-बाप के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। जबकि पुराने ज़माने में मां-बाप बच्चों को समय देते थे। उन्हें क़िस्से और कहानियां सुनाया करते थे। इस प्रकार बच्चों की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थीं और ही उनकी शिक्षा भी होती रहती थी। आज की भाग-दौड़ भरी और व्यस्त जीवन शैली के बीच वच्चों के मां-बाप और अभिभावकों को बच्चों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है।

■■



उम्मे ज़ुमर फ़ारिस

आत्मनिर्भर बन सशक्त बनें

महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोज़गार के अवसर कभी भी सीमित नहीं रहे। माइक्रो फाईनांस की लिस्ट लम्बी है, फिर भी जो बात महसूस की जाती है, वह यह कि हमारे समाज की महिलाओं में व्यापार के प्रति हिम्मत और हौसले की कमी है। जबकि एक बार उन्हें सही दिशा मिल जाए तो वे रोज़गार के लिए बेहतरीन काम कर सकती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन्हें स्टार्ट करना सिखाएं। स्टार्ट अप के लिए आसान भाषा में कुछ तरीक़े बताए जा रहे हैं।

हमने जिस कारोबार यानी छोटे पैमाने के व्यवसाय को क्रम में पहले नंबर पर रखा है, उससे हर महिला आसानी से लाभ उठा सकती है। आप किसी भी छोटे-बड़े किराना स्टोर पर जाएं तो आपको तरह-तरह के छोटे-छोटे पैकेट्स दिखाई देंगे, जैसे सौंफ, लौंग, दालें, तिल, गर्म मसाला आदि। और ये 5 से 10 रुपये की क़ीमत में हाथों-हाथ बिकते हैं। फुटकर हों या होलसेल शॉप्स, आपको ये पैकेट्स ज़रूर मिल जाएंगे। छोटे पैकेट्स पैकिंग के लिए और थोक में कुछ कम क़ीमत पर ये चीजें ख़रीद लें। एक बड़ा स्टेपलर और मौसम के लिहाज़ से चीज़ें ले लें। शुरू में 100 रुपये की हरी इलायची, 200 का साबूदाना, काला

नमक 50 रुपये का, किशमिश 200 रुपये की, भुने चने अच्छी क्वालिटी के, 100 रुपये के मखाने और सौंफ 100 रुपय की। होलसेल में अगर मुनासिब रेट में बादाम मिल जाएं तो आप उन्हें भी ले सकती हैं। इसी तरह काली मिर्च 200 रुपये की, 50 रुपये का लेमन ग्रास। लेमन ग्रास शुरू में ख़रीद लें, लेकिन बाद में उसके पौधे ख़रीद लें।

ये सामान इन लिफ़ाफ़ों में रखते जाएं, स्टेपल करें, बेस गत्ता आपको स्टेशनरी की दुकान से भी मिल सकता है। आप बड़ी होलसेल शॉप पर इन्हें बेचें। ये हाथों-हाथ बिकते हैं। अनुभव और आत्मविश्वास बढ़े तो शॉप्स से ख़ुद ऑर्डर लेकर बेचें। ज़्यादा बचत उस समय संभव है, जबकि बड़ी दुकानें आपको आर्डर पर पैकिंग का काम भी देने लगें या आप इसी काम को आर्डर पर लें और बेरोज़गार महिलाओं की मदद से छोटी-सी पैकिंग कंपनी ही खोल लें।

दूसरा है मेस चलाने का कारोबार। महिलाएं इसे बेहतरीन तौर पर कर सकती हैं। पिछले दिनों अख़बार में एक ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ी थी कि दिल्ली के फुटपाथ पर एक महिला ने बिरयानी बेचने का कारोबार शुरू किया था और वह बेहतरीन चल पड़ा। शुरू में दो किलो बिरयानी बनाकर महिला ने बेचना शुरू किया था, अब वह दिन-भर में एक क्विंटल बिरयानी बना लेती है और सारी बिक जाती है। खाना बनाकर महिलाएं बेचने लगें या दूसरे शहर से आने वाले छात्रों को खाने के टिफिन बनवाकर दें तो ये अच्छी आमदनी का ज़रिया है। पंजाब की एक महिला तंदूरी रोटी का बिजनेस बहुत कामयाबी से चलाती हैं।

तीसरा आप छत पर मुर्ग़ी पालन करें। बड़े दरबे बनाए जाएं और चाहें



तो देसी मुर्ग़ी पालें। या आप पोल्ट्री भी चला सकती हैं। देसी मुर्ग़ी पालें तो उनके गोश्त और अंडों से लाभ उठाने के साथ अंडों का कारोबार भी करें। कुछ महिलाएं कहती हैं कि इस से बदबू का सामना होता है। आप मुनासिब हवा का इंतिज़ाम करें, सफ़ाई का बंदोबस्त करें तो कोई बदबू नहीं होगी। फूल के साथ कांटे भी होते हैं। आसानियां कठिइयों और तकलीफ़ों बाद ही आती हैं।

चौथा यह कि सर्दियों में महिलाएं अपनी त्वचा और बालों को लेकर चिंतित नज़र आती हैं। सर्दियों के लिहाज से देशी तरीक़े से बनाए जाने वाले लोशन और क्रीमें त्वाचा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। आप चाहें तो यूट्यूब की मदद से देसी तरीक़े से बहुत सी क्रीमें बनाकर भी सील करके बेच सकती हैं।

पांचवां यह कि आपने बड़े-बड़े मॉल में पैरों के डेड सेल मछलियों को खिलाने वाला प्लांट देखा होगा, जिसमें ग्राहक अपने पैर पानी में डालकर बैठा होता है और मछलियां पैरों के डेड सेल खाकर अपना पेट भरती हैं, लेकिन पैर बाहर निकालें तो एड़ियां जगमग करती हैं। यह एक प्राचीन यूनानी तरीक़ा है और यह काम विशेष नस्ल की मछलियों से लिया जाता है। इस प्लांट में दस मिनट पैर डालने के चार्जेज़ आपको 200 रुपये देने होते हैं। सर्दी में महिलाएं अपनी एड़ियों को लेकर चिंतित रहती हैं। वन टाइम पैसा ख़र्च करते हुए आप एक बड़ा-सा फिश पॉट लेकर यह प्लांट घर में लगवा कर व्यापार शुरू कर सकती हैं।

छठा, अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो अच्छे टेलरों से जोड़े उठाइए और काज-बटन कीजिए। एक कमीज़ के बटन आदि लगाने के चार्ज 15 रुपये हैं। इसके अलावा आप बटन लगवाने और मास्क सिलने का कांट्रैक्ट भी ले सकती हैं।

सातवां, शादी हॉल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ऑफिसों की कैटरिंग और कपड़ों की धुलाई और इस्त्री का काम भी बहुत ही अच्छी आमदनी वाला है। इसमें अगर शादी हॉल का कांट्रैक्ट मिल जाए तो वारे-न्यारे। इसमें बड़े पीस की धुलाई 100 से 200 के बीच होती है। इसमें अहम बात यह है कि वे लोग आपके घर पर कपड़े देकर जाएंगे और लेने भी ख़ुद ही आएंगे। ■■



डिजिटल मार्केटिंग :

एक उभरता हुआ करियर विकल्प

करियर



संपादन प्रभाग

अब भारत में डिजिटल मार्केटिंग एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन बन गया है। भारत में डिजिटल मार्केटिंग तो काफ़ी समय से हो रही है, लेकिन इसे जन सामान्य की तरफ़ से एक करियर की तरह मान्यता नहीं मिल पाई थी। इसकी वजह थी रोज़गार। डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने को लेकर चुनिंदा युवा ही उत्सुक रहते थे, लेकिन जब से कार्पोरेट घरानों ने डिजिटल मार्केटिंग को गंभीरता से लिया और अपने बिजनेस में ग्रोथ को बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोज़गार निकालना शुरू किया।

अब हर कंपनी डिजिटल माध्यमों से व्यापार को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में मार्केटिंग के क्षेत्र की दख़ल यहां भी बढ़ी है, और इस वजह से मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए यहां अवसर भी बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2025 तक डिजिटल मार्केटिंग का बाज़ार बढ़कर 160 अरब डॉलर का हो जाएगा, क्योंकि अब बड़े से लेकर छोटे व्यापारी और कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले रही हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहां जितने मौक़े फ्रेशर के लिए है, उतने ही अवसर मार्केटिंग प्रोफेसनल्स के लिए भी हैं। चूंकि डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग से काफ़ी अलग है, इसलिए इसका विस्तार भी ज़्यादा हो रहा है।

डिजिटल मार्केटिंग क्या है?

डिजिटल मार्केटिंग में उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए विविध डिजिटल चैनलों को माध्यम बनाकर उत्पाद एवं



सेवाओं का प्रचार और व्यापार किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट ही नहीं, एसएमएस और एमएमएस, सोशल मीडिया के मंचों, डिस्प्ले एडवरटाइजिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अभी यह उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें लगातार नए प्रयोग देखने में आ रहे हैं, लेकिन, इसमें कोई शक नहीं कि आप इसका कोर्स करके मार्केटिंग की डिग्री को और लाभदायी बना सकते हैं। इससे आप आज के दौर के मुताबिक़ बेहतर तैयार हो सकते हैं।

डिजिटल मार्केटिंग में कैसे काम होता है?

इस क्षेत्र में आपको ईमेल मार्केटिंग, पे-पर-क्लिक एडवरटाइजिंग (पीपीसी), सर्च इंजन ऑप्टीमाइजेशन(एसईओ), सर्च इंजन मार्केटिंग (एसईएम), डिस्प्ले एडवरटाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग (एसएमएम), रेडियो एडवरटाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग से संबंधित काम मिलेंगे। यहां आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, सोशल मीडिया मार्केटर, कंटेंट मार्केटर, ऑटोमेशन एक्सपर्ट, पेड मीडिया स्पेशलिस्ट, डाटा एनालिस्ट, वेब डवलपर, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन से संबंधित ज़िम्मेदारियां मिलेंगी।

रोज़गार के अवसर

डिजिटल मार्केटिंग में नौकरी के लिए कोई सीमाएं नहीं है। टूरिज़्म, बैंकिंग, रिटेल, मीडिया, मल्टीनेशनल और अन्य कंपनियों के डिजिटल मार्केटिंग विभाग, स्टार्टअप, आईटी और आईटीईएस (आईटी समर्थित सेवाएं), पीआर और एडवरटाइजिंग, कंसल्टेंसी, मार्केट रिसर्च, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हास्पिटेलिटी आदि कंपनियों को डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत होती है। चूंकि डिजिटली तकनीक ग्लोबल मौक़े देती है, इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का मौक़ा मिल सकता है। एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ख़ासतौर पर प्रचलित है। उल्लेखनीय है कि लिंक्डइन की एक स्पेशल रिपोर्ट में "डिजिटल मार्केटर" दस सर्वाधिक मांग वाली जॉब्स में शामिल हुआ है

कोर्स कैसे करें?

डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए स्नातक डिग्री से अच्छे अवसर बन सकते हैं। स्नातक के बाद सर्टिफिकेट कोर्स के साथ इसमें शुरुआत कर सकते है। डिजिटल मार्केटिंग के कई निशुल्क ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी उपलब्ध है। एनआईआईटी डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में पीजी प्रोग्राम करा रहा है। मणिपाल प्रोलर्न का पीजी सर्टिफाइड प्रोग्राम है। बहुत से संस्थान बीबीए में डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइज़ेशन करा रहे हैं।

कुछ प्रमुख कोर्स

- सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग

मास्टर्स कोर्स

• डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम

• ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सर्टिफिकेट ट्रेनिंग

• निजी मॉड्यूल में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जैसे-एसईओ, एसईएम, डेटा माइनिंग, एनालिटिक्स, एसएमएस, ई-मेल मार्केटिंग आदि

• डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल डिप्लोमा

• एसईएम में प्रोफेशनल डिप्लोमा

• डिजिटल मार्केटिंग में बीबीए, एमबीए

भारत में प्रमुख संस्थान

1. उडेमी-https://www.udemy.com/

2. कोर्सेरा-https://www.coursera.org/

3. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन-http://www.aima.in/

4. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईआईटी)-https://www.niit.com/

5. दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग

6. एजुकार्ट दिल्ली

8. आईआईएम के विविध केंद्रों से डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित ऑनलाइन प्रोग्राम्स-https://www.iima.ac.in/

आमदनी

डिजिटल मार्केटर को शुरुआत में 4 से 5 लाख सालाना पैकेज आराम से मिल जाता है। अनुभव के बाद डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के पद पर प्रतिमाह 2 लाख रुपये तक की आय भी संभव है। जानकारों के अनुसार यदि आप यह भविष्य की सबसे तेज़ विस्तार करने वाली इंडस्ट्रीज़ में से एक का हिस्सा बनना चाहते है, तो डिजिटल मार्केटिंग का विकल्प आपके लिए ही है। इस क्षेत्र में आसानी से ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। इसीलिए छात्र तथा कामकाजी पेशवर भी स्किल अपग्रेडेशन करके लाभ उठा सकते हैं और अपने लिए करियर की संभावनाओं में सुधार कर सकते हैं। इस काम को फ्रीलांसर के रूप में भी किया जा सकता है और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों या कंपनियों के साथ फुल टाइम भी। संचार कौशल, मार्केटिंग में रुचि रखने वाले और डिजिटल मार्केटिंग टूल और तकनीक के ज्ञान वाले लोगों के लिए नए दौर का लाभदायी अवसर है।

जानकारों का मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र बहुआयामी और रोज़ विकसित होने वाला क्षेत्र भी है। इंटरनेट यूज़र रोज़ बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस भी। इसीलिए यह एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आपको ख़ुद को नए डिजिटल मंचों से अपडेट रखना होगा। डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने के कई रास्ते हैं, आप कोर्स करने के बाद किसी कंपनी के साथ एसोसिएट के रूप में काम कर सकते हैं। कंपनी के फुलटाइम एम्प्लोयी बनकर अच्छा ख़ासा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप नौ से पांच की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसर (as a freelancer) बनकर भी काम कर सकते हैं। कई छोटे बिजनेस संचालकों को डिजिटल मार्केटर की आवश्यकता होती है, वह इसके लिए बड़ी कंपनी के बजाय किसी फ्रीलांसर को काम देना पसंद करते हैं। ऐसे में आपके पास अवसर होता है। फ्रीलांसर के तौर पर काम करके भी लाखों रुपये कमाने वाले भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, बस इसके लिए आपको विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है। ■■

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2025 तक डिजिटल मार्केटिंग का बाज़ार बढ़कर 160 अरब डॉलर का हो जाएगा, क्योंकि अब बड़े से लेकर छोटे व्यापारी और कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले रही हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहां जितने मौक़े फ्रेशर के लिए हैं, उतने ही अवसर मार्केटिंग प्रोफेसनल्स के लिए भी हैं। चूंकि डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग से काफ़ी अलग है, इसलिए इसका विस्तार भी ज़्यादा हो रहा है।



बीमार स्वास्थ्य ढांचे का कैसे हो उपचार ?

ज्वलंत



संपादन प्रभाग

किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उस देश के स्वस्थ नागरिकों पर निर्भर करता है। स्वस्थ नागरिक ही देश के विकास और ख़ुशहाली में अच्छा योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 और ताज़ा आर्थिक सर्वेक्षण, दोनों ने 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.53 प्रतिशत के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय लक्ष्य की सिफ़ारिश की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने यह भी प्रस्तावित किया था कि राज्य 2020 तक अपने स्वास्थ्य व्यय को आठ प्रतिशत या उससे अधिक तक बढ़ा दें।

फिर भी वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सरकारी स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.5 प्रतिशत ही रहा। और इससे भी बदतर यह कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपना स्वास्थ्य बजट कम रखा है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल सामान्य सरकारी व्यय वित्त वर्ष 2019-20 में 31.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 37.6 प्रतिशत हो गया, पर स्वास्थ्य व्यय 1.3 प्रतिशत बनाम 1.5 प्रतिशत तक ही रहा। भारत के लोगों और नीति-निर्माताओं के लिए इन आंकड़ों का क्या मतलब है?

हाल में ही नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में देश की सार्वजतिक स्वास्थ्य व्यावस्था के बारे में चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर के ज़िला अस्पतालों में प्रति एक लाख की आबादी पर औसतन मात्र 24 बिस्तर ही उपलब्ध हैं। नीति आयोग की यह रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। देश भर में ज़िला अस्पतालों की हालत

ख़स्ता है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश की स्थिति काफ़ी दयनीय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनेक रिपोर्ट से लेकर इस क्षेत्र में हुए अनेक सर्वेक्षण यह बताते हैं कि हमारी सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था सुधरने की बजाए और बदहाल होती जा रही है। देश भर के अधिकतर राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बेहद ख़राब है।

नीति आयोग की यह रिपोर्ट बताती है कि देश में ऐसे 15 राज्य हैं जहां अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या तय मानक से भी कम है। इसी प्रकार उपलब्ध बिस्तरों का आंकड़ा बिहार में 6, झारखंड में 9, तेलंगाना में 10, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 13, महाराष्ट्र में 14, जम्मू और कश्मीर में 17, असम, आंध्र प्रदेश और पंजाब में 18 गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 19 और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ज़िला अस्पतालों में मरीज़ों के लिए बिस्तरों की संख्या मात्र 20 है। इसी प्रकार डॉक्टरों और नर्सों की उपलब्धता और उनका अनुपात भी तय मानकों के अनुसार बेहद निराशाजनक है।



कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो रूप सामने आया, उसने हमारे चिकित्सा तंत्र की नाकामियों को जग ज़ाहिर कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी स्थिति कितनी दयनीय है। ऑक्सीजन और ज़रूरी सुविधाओं के अभाव में लोग असहाय नज़र आए। देश भर में हाहाकार मच गया और एक अराजकता की स्थिति नज़र आने लगी थी। बात यदि देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की जाए तो वहां स्थिति और भी ज़्यादा भयावह देखने को मिली।

नीति आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट वर्ष 2018-19 के दौरान देश के सभी राज्यों के ज़िला अस्पतालों के सर्वे के आधार पर जारी की है। उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी पर मात्र 13 बेड हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ का मानना है कि एक हज़ार की आबादी पर कम से कम 5 बेड की सुविधा होनी चाहिए। यह इतनी बड़ी आबादी के लिहाज से ऊंट के मुंह में ज़ीरे के समान है।

यहां कोराना काल के दौरान भारी अव्यवस्थाएं देखने मिली थीं। यहां लोगों को इलाज के लिए पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर से परामर्श व दवा लेने तक लंबी कतारों में लगना पड़ता है। बुख़ार, वायरल आदि बीमारियों के मरीज़ों की संख्या बढ़ने पर लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो पाता। कोरोना की लहर के दौरान ही नहीं सामान्य दिनों भी यहां अस्पतालों और मरीज़ों की बदहाली को आसानी से देखा जा सकता है। अक्सर मरीज़ों को बेड उपलब्ध न होने के कारण भटना पड़ता है और जान भी गंवानी पड़ती है। इस मामले में बिहारी की स्थिति तो और भी दयनीय है।

सभी जानते हैं कि देश भर में सबसे अधिक भार सरकारी अस्पतालों पर रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा सरकारी चिकित्सा तंत्र दम तोड़ने लगा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपकेंद्रों की हालत देखरेख के अभाव और चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते बदतर हो चुकी है। कहीं पर स्टाफ़ ही नहीं हैं, कहीं हैं तो गिनती के जो केवल मरहम पट्टी के अलावा और कुछ नहीं करते। ऐसे में जब स्वास्थ्य केंद्र ही बीमार हैं तो भला बीमारों का इलाज कौन करे? निजी अस्पतालों के कारण सक्षम एवं संपन्न लोगों को तो गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन ग़रीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इसलिए वर्तमान समय में यह ज़रूरी है कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए और एक ऐसी स्वास्थ्य नीति बनाई जाए जो किसी भी आपात स्थिति में चिकित्सा संबंधी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो, जो बदलते परिवेश में संक्रमण के परिणामस्वरूप फैलने वाली बीमारियों से लोगों की रक्षा कर सके। नीति आयोग के ये ताज़ा आंकड़े हमें बताते हैं कि देश के स्वास्थ्य तंत्र की इस बदहाली को दूर किया जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि स्वस्थ भारत का सपना साकार हो सके।

■■



(सल्ल.) मुहम्मद का विरोधियों के साथ व्यवहार

प्रकाश स्तंभ



मुहम्मद
इक़बाल मुल्ला

वर्ष 571 ईसवी में अपने जन्म के बाद चालीस वर्ष की आयु में आप हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के पास ईश्वर की ओर से यह संदेश प्राप्त हुआ कि आप ईश्वर के पैग़म्बर (संदेशवाहक या दूत) हैं और ईश्वर ने आपको सारी मानवता के मार्गदर्शन के लिए अंतिम संदेशवाहक बनाकर भेजा है। आपने इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि आप इस्लाम का संदेश देने वाले और उस पर चलकर एक नमूना पेश करने वाले थे।

सऊदी अरब के मक्का शहर में जब आपने तेरह वर्षों तक इस्लाम का यह संदेश दिया कि ''ऐ लोगो ! ईश्वर एक है और उसका कोई सहभागी नहीं है। उस अकेले ईश्वर की उपासना करो और उसके बताए हुए मार्ग पर चलो। अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार समर्पित करो।''

कुछ लोगों ने उनके द्वारा लाए गए ईश्वर के इस संदेश को माना और बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों में वहां के प्रमुख क़बीले क़ुरैश के अलावा अन्यों क़बीलों के लोग और उनके सरदार शामिल थे। तेरह वर्षों तक लगातार आप (सल्ल.) के साथ अत्याचार व अन्याय होता रहा, लेकिन आप हमेशा उनके साथ प्यार से पेश आते रहे। आपने उनके सामने बड़े प्यार व शांति के साथ ईश्वर के संदेश को रखा। आपको तरह-तरह से सताया गया।

मक्का शहर में एक ऐसा अवसर भी आया जब तीन वर्षों तक लगातार आपका सामाजिक बहिष्कार किया गया। आप और आपके मुट्ठी भर साथियों को एक छोटी-सी घाटी तक सीमित कर दिया गया। इस घाटी से आप और आपके साथी बाहर नहीं निकल सकते थे। आप और आपके साथियों

से कुछ भी ख़रीदने या बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। बाहर के व्यापारियों को भी वहां आने जाने से रोक दिया गया। इतिहास से हमें मालूम होता है कि आप और आपके साथियों को अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ों के पत्ते और छालों को खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मांओं की छातियों से दूध सूख गए और बच्चे भूख से बिलबिला उठे।

मक्का के तेरह वर्ष आप (सल्ल.) के बड़ी कठिनाइयों में बीते और आपको बहुत कष्ट दिया गया। आपको अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आप अपने साथियों के साथ जब मदीना शहर पहुंचे तो, दस वर्षों तक यहां भी आप पर हमले होते रहे और यहां भी आपके के ख़िलाफ़ षड्यंत्र किए जाते रहे। मक्का वालों की ओर से उन पर कई बार आक्रमण किया गया और मदीने में भी उनके दुश्मानों की कमी न थी। मदीने भी आप और आपके साथियों को चैन से नहीं रहने दिया गया।

अंततः आप (सल्ल.) अपने दस हज़ार साथियों को साथ लेकर मदीने की ओर चल पड़े और आपने ऐसी रणनीति अपनाई कि बिना किसी युद्ध व ख़ून ख़राबे के मक्का विजय हो गया और मक्का वालों ने आपके सामने आत्म-समर्पण कर दिया।

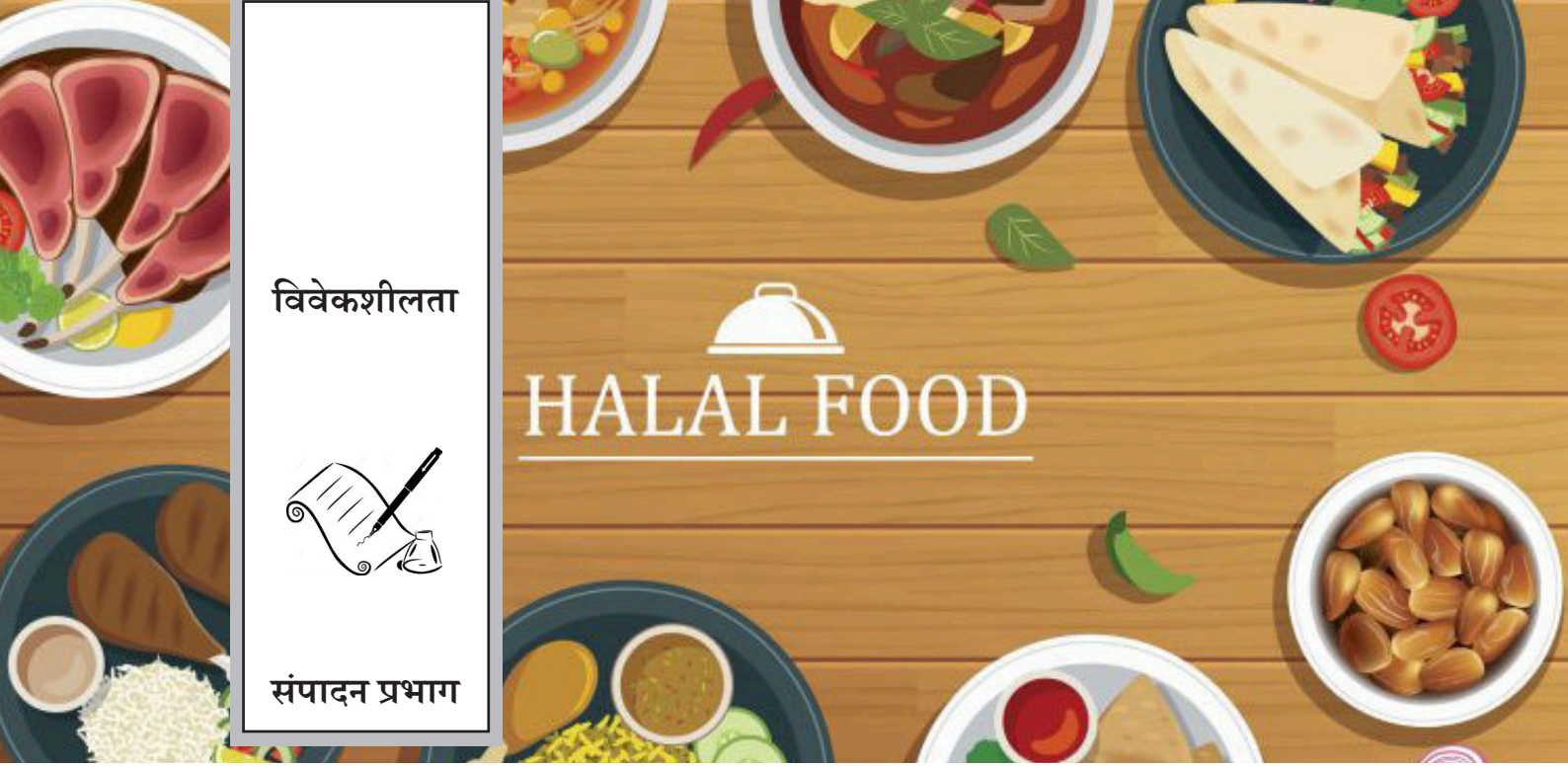
मक्का में जिन लोगों ने आपको तेरह वर्षों तक ख़ूब सताया था वे सभी आपके सामने थे। बड़े सरदार आपके सामने सर झुकाये खड़े थे। आप चाहते तो उनसे बदला ले सकते थे। आपके पास पूरा अधिकार था आप उनको मृत्युदंड दे सकते थे, लेकिन आपने सबको माफ़ कर दिया और घोषणा की ''आज के दिन तुम पर कोई गिरफ़्त नहीं है, तुम सब आज़ाद हो, तुम जहां चाहे चले जाओ।''



मक्का के तेरह वर्ष आप (सल्ल.) के बड़ी कठिनाइयों में बीते और आपको बहुत कष्ट दिया गया। आपको अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आप अपने साथियों के साथ जब मदीना शहर पहुंचे तो, दस वर्षों तक यहां भी आप पर हमले होते रहे और यहां भी आपके के ख़िलाफ़ षड्यंत्र किए जाते रहे। मक्का वालों की ओर से उन पर कई बार आक्रमण किया गया और मदीने में भी उनके दुश्मानों की कमी न थी।

आपके क़रीबी साथियों की हत्या का कारण बनने वाले लोग भी आपके सामने मौजूद थे। यहां तक कि आप (सल्ल.) की बेटी हज़रत ज़ैनब (रजि.) का हत्यारा भी जब आपके सामने आया तो आपने उसे भी माफ़ कर दिया। जिन-जिन लोगों ने भी आपको और आपके साथियों को बेहद कष्ट पहुंचाया, उन सबको आपने माफ़ कर दिया। मक्का के तेरह वर्ष और मदीना के दस वर्षों की अवधि में आपने ऐसे ही उदाहरण पेश किए। इसी प्रकार तायफ़ शहर के लोग, जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाये और आपको बुरी तरह से घायल किया, आपने उन्हें भी माफ़ कर दिया।

आपने सदैव ही शांति और प्रेम का संदेश दिया। आपने बार-बार बताया कि सभी इंसान एक ही माता-पिता की संतानें हैं। आप शांति के पैग़म्बर हैं, आप सारी मानवता के हित के लिए आए। आपकी जीवनी का अध्ययन करने से यह बात भली-भांति स्पष्ट हो जाती है कि आपने अपने पूरे जीवन काल में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाया। ■■



विवेकशीलता

संपादन प्रभाग

खान-पान में

हलाल-हराम का सवाल

बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) ने गत माह भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो डाइट चार्ट दिया, उसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा, क्योंकि उसमें खिलाड़ियों के लिए हलाल मीट की अनिवार्यता की बात की गई थी। डाइट चार्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को जमकर ट्रोल किया गया। हलाल शब्द के चलते बीसीसीआई को निशाने पर लिया गया। आमतौर पर हलाल शब्द को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है।

जहां तक हलाल शब्द का सवाल है तो यह अरबी भाषा का एक शब्द है। हलाल (वैध) और हराम (अवैध या वर्जित) परस्पर विरोधी शब्द हैं, हलाल का शाब्दिक अर्थ होता है 'बंधन खोलना' तथा हराम का शाब्दिक अर्थ है 'किसी चीज़ को सख़्ती से रोकना'। क़ुरआन में हराम शब्द का उल्लेख इस प्रकार से हुआ है–

''लोगो, धरती में जो हलाल (वैध) अच्छी-सुथरी चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो। वह तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बुराई और अश्लील बातों को कहता है और यह सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वे बातें कहो जिनके संबंध में तुम नहीं जानते हो (कि वे अल्लाह की कही हुई हैं)।'' (क़ुरआन, 2:168-169)

मानवीय जीवन के समस्त पक्ष धर्म, अध्यात्म, खान-पान, रस्म व रिवाज, आचार-व्यवहार और राजनीति आदि की जिन-जिन बातों की इस्लाम अनुमति देता है, वे वैध हैं यानी हलाल हैं और जिन बातों से रोकता है वे हराम यानी अवैध हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि वैध-अवैध का निर्धारण महत्वपूर्ण क्यों है और इसका निर्धारण आख़िर कौन करेगा?

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम व क़ानून आवश्यक होते हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य को उसकी इच्छानुसार आचरण करने की अनुमति हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। इसलिए मानव समाज को सुव्यवस्थित रखने और शांति की स्थापना के लिए वैध-अवैध (हलाल-हराम) का निर्धारण आवश्यक है। जहां तक दूसरे सवाल का संबंध है कि हलाल और हराम का निर्धारण कौन करे? तो इसका एक जवाब तो यह हो सकता है कि इसका निर्धारण मानव समाज स्वयं करे, लेकिन मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस संबंध में कभी भी संतुलन स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें निष्पक्षता का अभाव होता है। देश, काल और स्थानीय परिस्थितियों वैध-अवैध के निर्धारण को प्रभावित करती हैं। लिंग, समुदाय और राष्ट्रीयता का प्रभाव भी इस पर होता है।

स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए वैध-अवैध का निर्धारण करे, मालिक नौकर के लिए और नौकर मालिक के लिए क़ानून बनाए, वर्तमान समय के लोग आने वाले समय के लिए क़ानून बनाएं तो उसमें निष्पक्षता न होने के कारण संतुलन आ ही नहीं सकता।

इतिहास गवाह है कि एक ओर जब धर्म, आध्यात्म, वैराग्य और सन्यास के संबंध में इन्सान ने अतिरेक से काम लिया, तो शारीरिक सुख को वर्जित ठहराया गया और विवाह अच्छा भोजन, वस्त्र और आभूषण आदि को हराम बना दिया गया। दूसरी ओर जब वह इसके विपरीत अति को पहुंचा तो हर वो चीज़ वैध हो गई जो आपको अच्छी लगे। यहां तक कि प्रचीन ईरान में सगे-संबंधियों के बीच भी विवाह को वैध ठहरा दिया गया।



आज भी यदि खान-पान के संबंध में विचार करें तो अतिवाद यहां भी पाया जाता है। एक अति तो यह है कि हिंसक पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू, चमगादड़ और कीड़े-मकोड़े तक खा लिए जाएं और दूसरी ओर केवल शाकाहार ही हलाल है। एक वर्ग विशेष तो दूध और शहद तक को हराम समझता है।

इसलिए यह तो स्पष्ट है कि इन्सान द्वारा हराम-हलाल के निर्धारण से कभी भी शांति व संतुलन की स्थापना नहीं हो सकती। इस्लामी मान्यता के अनुसार हलाल-हराम का निर्धारण सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर ही कर सकता है। केवल वही जानता है कि इन्सान के भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। केवल वही है जिसका ज्ञान पूर्ण और निरपेक्ष है, जो समय व परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता।

मनुष्य की प्रकृति में ईश्वर के होने, उसके अस्तित्व और उसकी भक्ति का भाव निहित है। यह उसके स्वभाव का अभिन्न अंग है। उसके मन में ये सवाल उठते ही हैं कि 'मैं कौन हूं? मुझे किसने पैदा किया है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा? व्यक्ति जब अपने अस्तित्व और बाहर की दुनिया पर नज़र डालता है तो समझ जाता है कि यह जगत, पृथ्वी पर जीवन और उसका अस्तित्व किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह विराट ब्रह्मांड जोकि पूर्ण रूप से नियमबद्ध है और हमारे शरीर की संरचना, इसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियां एक बेहतरीन रचयिता और इसके स्रष्टा का पता देती हैं। ईश्वर ही इस सृष्टि का रचयिता और स्वामी है, उसने ही पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कीं, इन्सान को पैदा किया और उसमें बुद्धि और विवेक रखा। विचार और कार्य करने की स्वतंत्रता दी और जीवन मृत्यु का सिलसिला बनाया ताकि वह हमारे कर्मो का मूल्यांकन करे कि कौन अच्छे कर्म करता है और कौन बुरे। क़ुरआन में ईश्वर का कथन है–

''अत्यन्त श्रेष्ठ और उच्च है वह जिसके हाथ में (विश्व का) राज्य है, और वह हर चीज़ की सामर्थ्य रखता है। जिसने मौत और ज़िन्दगी को आविष्कृत किया ताकि तुम लोगों को आज़माकर देखे कि तुममें से कौन अच्छा कर्म करने वाला है, और वह पभुत्वशाली भी है और माफ़ करने वाला भी।''

(क़ुरआन, 67:1-2)

ईश्वर ने ही इन्सान की प्रकृति में नैतिक अनुभूति भी रखी है। उसके स्वभाव में पाप, पुण्य, अच्छे और बुरे के भेद का भाव भी मौजूद है। ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए हलाल-हराम का निर्धारण उसको परेशानी में डालने के लिए नहीं है, यह उसकी स्वतंत्रता का भी हनन नहीं है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि हराम चीज़ों की सीमा न्यूनतम है और हलाल चीज़ों का विस्तार बहुत अधिक है। क़ुरआन में ईश्वर ने सभी पवित्र चीज़ों को खाने के लिए हलाल ठहराया है। इन्सान को चाहिए कि वे क़ुरआन का अध्ययन कर ईश्वर द्वारा निर्धारित हलाल और हराम को समझने का प्रयत्न करे।

■■



सद्भावना



डॉ. सैयद क़ासिम रसूल इलियास

सामाजिक सौहार्द और मीडिया

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न धर्मों के मानने वालों, विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों और अलग-अलग संकृतियों से संबंधित लोगों का देश है। दुनिया के सभी बड़े धर्मों के मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। चाहे वे ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हों, हिंदू धर्म के मानने वाले हों, इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, बौद्ध, सिख या पारसी धर्म के मानने वाले हों। ये लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं और हमारे देश के अलग-अलग प्रांतों में रहते हैं।

देश में लगभग 1700 भाषाएं ऐसी हैं जो लोगों की मात्र भाषाएं हैं और लगभग 6 हज़ार से 7 हज़ार के बीच जातियां हैं, जिनसे संबंधित लोग हमारे इस देश में रहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा समाज एक बहुधार्मिक, बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक समाज है और सभी समाजों के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं।

किसी भी देश की तरक़्क़ी और ख़ुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में रहने वाले तमाम लोगों के बीच आपसी भाईचारा हो और एक दूसरे के साथ सहिष्णुता और साथ रहने की भावना पाई जाती हो। हमारे देश की यही ख़ूबी पूरी दुनिया में हमें विशिष्टता प्रदान

हम यह देखते हैं कि मीडिया की भूमिका समाज में एक महत्वपूर्ण हैसियत का रूप ले चुकी है। आज मीडिया समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है और वह जिस रुख़ पर लोगों को डालना चाहता है लोग चल पड़ते हैं।

करती है। इससे हमारा एक अनोखा चरित्र दुनिया के सामने नुमाया होता है कि इतने सारे धर्मों और इतनी सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग एक देश में आपसी सौहार्द व सद्भाव के साथ एक साथ रहते हैं, लेकिन अब ऐसा महसूसा होता है कि हमारे देश में कुछ ताक़तें ऐसी हैं जो इस सद्भाव को ख़त्म कर देना चाहती हैं। ग़ौरतलब है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के बारे आमतौर पर यह कहा जाता है कि उस देश की मीडिया का वहां की शासन व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान होता है। लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलने और नेताओं की जवाबदेही तय करने में मीडिया की एक बड़ी और बुनियादी भूमिका होती है। इसी प्रकार मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनमत को बनाने में होती है। हम देखते हैं कि मीडिया जिस ओर लोगों का रुख़ मोड़ देता है आमतौर लोग उसी ओर चल पड़ते हैं। वर्तमान समय में मीडिया का फैलाव बहुत बढ़ गया है। उसकी पहुंच समाज के हर वर्ग तक हो चुकी है।



प्रिंट मीडिया की पहुंच एक सीमित दायरे या केवल पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन जब से इलेक्ट्रानिक मीडिया और विशेष रूप से इससे भी आगे बढ़कर सोशल मीडिया के मैदान में हमने क़दम रखा है, हम यह देखते हैं कि मीडिया की भूमिका समाज में एक महत्वपूर्ण हैसियत का रूप ले चुकी है। आज मीडिया समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है और वह जिस रुख़ पर लोगों को डालना चाहता है लोग चल पड़ते हैं।

ऐसे माहौल में जबकि हमारे देश के लिए सद्भावना एक बुनियादी ज़रूरत है, मीडिया की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश में शांति व सौहार्द बढ़ाने और हमारे सामाजिक तानेबाने को मज़बूत करने में वास्तव में मीडिया की भूमिका क्या है? इस संबंध मे मीडिया के सकारात्मक पक्ष पर बात होनी चाहिए। शांति एवं सौहार्द के लिए काम करने वालों को भी मीडिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। यह सच है कि मीडिया की अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं हैं। मीडिया के सामने टीआरपी और रीडरशिप का मुद्दा है, लेकिन उसे यह देखना होगा कि यह टीआरपी या रीडरशिप वह किस क़ीमत पर हासिल कर रहा है? समाज को तोड़कर, उसमें बिखराव पैदा करके या समाज को जोड़कर?

मैं यह महसूस करता हूं कि समाज में अगर हमें आपसी शांति और सौहार्द पैदा करना है, अशांति को ख़त्म करना है और मानवता को बढ़ावा देना है तो सबसे पहले हमें मीडिया की भूमिका को परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में मीडिया को अपनी यह ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि समाज के ताने-बाने को मज़बूत करने और समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने में उसकी जो भूमिका होनी चाहिए उसे उसपर ध्यान देना चाहिए।

■■

अफ़सरों की खान

नायब सुबेदार हयात अली मुहम्मद ख़ान और शरीफ़न बानो के घर में 12 अफ़सर हैं जो देश भर में बड़ी-बड़ी रैंक पर तैनात हैं। राजस्थान के झुंझुनूं ज़िले के नूआं गांव का यह परिवार आज भी देश सेवा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस परिवार को अफ़सरों की खान कहा जाता है। यहां आईएएस, आईपीएस, आरएएस, डीआईजी, ब्रिगेडियर, कर्नल जैसे बड़े अफ़सर जन्मे हैं।



परिवार के अफ़सरों की लिस्ट इस प्रकार हैं–

1. लियाकत ख़ान : 1972 में आरपीएस के रूप में चयन हुए। पदोन्नति पाकर आईपीएस बने फिर आईजी के पद से रिटायर हुए। ये वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे।

2. अशफ़ाक़ हुसैन : पूर्व आईपीएस लियाकत ख़ान के छोटे भाई अशफ़ाक़ हुसैन का चयन साल 1983 में बतौर आरएएस हुआ। 2016 में इन्हें आईएएस के रूप में पदोन्नति मिली। ये शिक्षा विभाग में विशेष शासन सचिव, दौसा ज़िला कलेक्टर रहे तथा 2018 में रिटायर हो गए।

3. ज़ाकिर ख़ान : लियाक़त ख़ान के बड़े भाई हैं। 2018 में आईएएस बने। वर्तमान में ज़िला श्रीगंगानगर में कलेक्टर हैं।

4. शाहीन ख़ान : लियाक़त ख़ान के बेटे शाहीन ख़ान सीनियर आरएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में सीएमओ में तैनात हैं। इससे पहले अशोक गहलोत के ओएसडी भी रह चुके हैं।

5. मोनिका : शाहीन ख़ान की पत्नी हैं। इनका चयन जेल अधीक्षक के रूप में हुआ था। वर्तमान में डीआईजी जेल जयपुर के पद पर तैनात हैं।

6. शाक़िब ख़ान : लियाक़त ख़ान के भतीजे शाक़िब ख़ान इंडियन आर्मी में बिग्रेडियर हैं।

7. सलीम ख़ान : लियाकत ख़ान के भांजे सलीम ख़ान सीनियर आरएएस अधिकारी हैं। ये उप शासन सचिव शिक्षा के पद पर जयपुर में तैनात हैं।

8. शना ख़ान : आरएएस सलीम ख़ान की पत्नी शना ख़ान भी आरएएस अधिकारी हैं। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर में तैनात हैं।

9. फ़राह ख़ान : इनको साल 2016 में ऑल इंडिया स्तर पर 267वीं रैंक मिली। वर्तमान में फ़राह एक आईएएस अधिकारी के रूप में जोधपुर में तैनात हैं।

10. कमर उल ज़मान चौधरी : आईएएस अधिकारी फ़राह ख़ान के पति क़मरुल ज़मान चौधरी भी राजस्थान कैडर के आईएएस हैं। वर्तमान में वे भी जोधपुर में तैनात हैं।

11. जावेद ख़ान : आरएएस सलीम ख़ान के बहनोई जावेद ख़ान भी आरएएस हैं। ये जयपुर में मंत्री सालेह मुहम्मद के पीएस के रूप में तैनाती दे रहे हैं।

12. इशरत ख़ान : भारतीय सेना में ब्रिगेडियर शाक़िब की बहन इशरत ख़ान कर्नल हैं।

केरल की बुज़ुर्ग टॉपर महिला

देश में सबसे ज़्यादा साक्षर और शिक्षित राज्य केरल की एक बुज़ुर्ग महिला ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मक़ाम बनाया है। केरल के शिक्षा मंत्री वासुदेवन शिवनकुट्टी ने गत दिनों 104



वर्षीय कुट्टियम्मा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कुट्टियम्मा राज्य सरकार की केरल राज्य साक्षरता मिशन परीक्षा

में अच्छा स्कोर करने के बाद चर्चा में आयीं। शिक्षा मंत्री ने लिखा कि 104 वर्षीय कुट्टियम्मा ने केरल राज्य साक्षरता मिशन की परीक्षा में 89 फ़ीसद अंक हासिल किया है। उन्होंने लिखा कि ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है।

अत्यंत सम्मान और प्रेम के साथ, मैं कुट्टियम्मा और अन्य सभी नए शिक्षार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं।" केरल राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए साक्षरता, सतत शिक्षा और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है।

शिक्षा का दीप जला रही सादिया शेख़

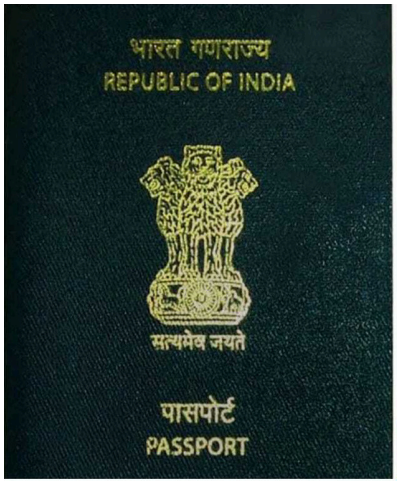
कोरोना महामारी के बावजूद बिहार की रहने वाली सादिया शेख़ ने अपने प्रयासों से अपने गांव के एक भी बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं होने दिया। 20 वर्षीय सादिया शेख़ ने साल भर पहले अपने पैतृक गांव, देऊरा में एक कम्युनिटी लाइब्रेरी की नींव रखी थी, जो वहां आज भी शिक्षा का प्रकाश फैला रही है। इस लाइब्रेरी ने गांव के बच्चों और बड़े लोगों के अंदर शिक्षा की रुचि जगाई। यहां तक कि गांव में आवारा घूमने वाले लड़के अपना कुछ वक़्त इस लाइब्रेरी में बिता कर अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं।



सादिया शेख़ ने इस कम्युनिटी लाइब्रेरी का नाम देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर रखा है। इस लाइब्रेरी में न सिर्फ़ बच्चों के लिए मुफ़्त किताबें और दूसरी शिक्षा सामग्री है, बल्कि एक अनुभवी शिक्षक भी अपनी ख़ुशी से रोज़ गांव के बच्चों को यहां पढ़ाया करती हैं। सादिया ने इस बारे में वेबसाइट टू सर्किल्स डॉट नेट से बात करते हुए कहा कि पिछले साल लॉकडाउन में जब मैं अपने गांव लौटी तो यहां के बच्चों की हालत बहुत दयनीय दिखी, वे पढ़ाई-लिखाई से दूर हो चुके थे।

सादिया के गांव, देऊरा में क़रीब 631 घर हैं और गांव की आबादी क़रीब 3,446 है। गांव की साक्षरता दर तो 40.9 फ़ीसद है, लेकिन महिलाएं सिर्फ़ 18.6 फ़ीसद साक्षर हैं। हाल में ही सादिया को इमर्जिंग सोशल वर्क लीडर ऑफ़ द ईयर 2021 और वैश्विक महिला प्रेरणादायक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और फिलहाल वो ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए भी नामांकित हैं।

6 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता





पिछले कुछ वर्षों से प्रतिदिन सैंकड़ों भारतीय नागरिक देश की नागरिकता छोड़ रहें हैं। हाल में ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि पिछले 5 वर्षों में 6 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। लोकसभा में पूछे गए प्रश्न का लिखित उत्तर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2017 में 1,33,049 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी तथा 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017, 2020 में 85,248 और 2021 में 30 सितम्बर तक 1,11,287 भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। इस हिसाब से प्रीतिदिन 300 लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहें हैं। विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1,33,83,718 भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं।



पेंशन

कहानी



प्रवीण कुमार सहगल

देर रात से ही कामता प्रसाद की खांसी तेज़ हो गयी। रह-रहकर ख़ून की दो-चार उल्टियां भी हो गयी। धर्मपत्नी काफ़ी घबराई हुई थी। कामता प्रसाद ने सुभद्रा को ढाढ़स बंधाने की असफल चेष्टा की। एक सुभद्रा ही तो थी जो अब तक कामता प्रसाद का साथ निभा रही थी। आख़िर सुभद्रा उनकी धर्मपत्नी थी और किसी स्त्री के लिए संसार की सबसे अनमोल चीज़ उसका पति होता है। इस बात को सुभद्रा अच्छे से समझती और इस हालत में कामता प्रसाद के लिए एकमात्र सहारा वही थी।

ऐसा नहीं था कि कामता प्रसाद के कोई संतान न थी। सुभद्रा ने अपनी कोख से दो पुत्र और दो पुत्रियों को जना था। स्वयं कामता प्रसाद सरकारी महकमे में मुंशी थे। जो भी वेतन मिलता इतने बड़े परिवार के भरण-पोषण में ख़र्च हो जाता। कामता प्रसाद हमेशा तंगी में ही रहे। फिर भी अपने बच्चों की परवरिश में उन्होंने कोई क़सर नहीं छोड़ी। अच्छी शिक्षा दिलाने का ही परिणाम था कि आज उनके दोनों पुत्र सरकारी महकमे में उच्च पदों पर आसीन थे। पूरे सेवाकाल में बड़ी मुश्किल से जो थोड़ी-बहुत बचत की उससे रहने हेतु एक छोटा-सा घर भी बन गया। दोनों पुत्रियों की शादी भी उन्होंने अच्छे से कर दी और वे दोनों अपने घर ख़ुश थीं। पुत्रियों के विवाह में उनके सिर पर काफ़ी क़र्ज़ भी चढ़ गया जिससे वे अपनी नौकरी के अंतिम दिनों में ही उबर सके। दोनों पुत्रों का विवाह भी हो गया और अपने परिवार के साथ वे दोनों घर से काफ़ी दूर रहते थे। शुरू-शुरू में तो दोनों वर्ष में एकाध बार आ ही जाते परंतु समय के साथ यह अंतराल बढ़ता चला गया। बहुओं के उपेक्षित व्यवहार के कारण सुभद्रा भी कभी उन लोगों के पास जाने का साहस नहीं जुटा सकी और कामता प्रसाद ने भी पुत्रों के पास जाने के लिए सुभद्रा पर कभी दबाव नहीं बनाया। धीरे-धीरे उन लोगों के फ़ोन आने भी बंद हो गए और

स्वयं को निःसंतान मान कामता प्रसाद और सुभद्रा ने हृदय कठोर करके एक-दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीने का दंभ झेलने लगे। पिछले पांच वर्ष से तो पुत्रियों की भी कोई खोज-ख़बर नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सबने ही कामता प्रसाद और सुभद्रा को भुला दिया हो।

कामता प्रसाद को सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण किये साल भर से ऊपर होने को आये। अचानक से वेतन बंद हो जाने से वे आर्थिक तंगी झेल रहे थे। पेंशन कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते उनके जूते घिस गये फिर भी उनकी पेंशन निर्धारित नहीं हो सकी। कई बार तो फाइलों को इधर-उधर करवाने में चढ़ावा तक देना पड़ा। तिस पर से वे टीबी के मरीज़ भी हो गए। जो भी थोड़ी-बहुत जमा-पूंजी थी वह भी पिछले एक साल में घर के आटा-दाल का ख़र्च चलाने में समाप्त हो गयी। बीमारी की वजह से पड़ोसियों का क़र्ज़ा भी सिर पर चढ़ गया-सो अलग। इतनी तंगी में भी उन्होंने कभी अपने बच्चों से आर्थिक मदद लेने का प्रयास नहीं किया। वे विचार करते–"वह जिसने इतने दिनों में अपने लाचार बूढ़े मां-बाप की तनिक भी सुधि नहीं ली वैसे नालायक बच्चों से आर्थिक मदद लेने की बात सोचना भी बेमानी होगी। क्या पता-कहीं इन्कार ही न कर दे? इससे तो अच्छा है कि अभाव में ही स्वाभिमान के साथ जीवन का त्याग कर दिया जाए। कम-से-कम मरने के बाद संतोष तो रहेगा कि जितना भी जिया अभिमान के साथ जिया।"

दिन बीतने के साथ-साथ कामता प्रसाद का स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा था। पेंशन की राशि अब तक न मिलने से आर्थिक मदद के नाम पर पड़ोसियों ने भी कन्नी काटना शुरू कर दिया। राशन वाले का क़र्ज़ा अधिक होने से वह भी सामान देने में आनाकानी करने लगा। मगर पेट की भूख और सुभद्रा के स्याह पड़ चुके चेहरे को याद करके वे अपमान का घूंट पीकर रह जाते। उनकी बेबसी ने सुभद्रा को समय पूर्व ही वृद्ध बना दिया। स्वयं के विवाह के समय सुभद्रा के लालिमायुक्त सुर्ख़ चेहरे को याद करके और वर्तमान में सुभद्रा के स्याह पड़ चुके चेहरे को देखकर वो अंदर तक पीड़ा से भर जाते। मगर बेचारे करते भी क्या ?

सुबह तक जाकर कामता प्रसाद सामान्य हो पाये। आज एक बार फिर से वे पेंशन कार्यालय इस उम्मीद में गये कि अधिकारियों को शायद उनकी हालत पर दया आ जाये और उनकी पेंशन राशि का भुगतान हो जाये। उम्मीद के मुताबिक ही पेंशन कार्यालय की स्थिति थी। यत्र-तत्र धूल से सनी फ़ाइलें बिखरी पड़ी थीं और कोई भी कर्मचारी ठीक से अपना काम नहीं कर रहा था। दोपहर तक वे फाइल लेकर इस टेबल से उस टेबल भटकते रहे। थकान और कमजोरी की वजह से वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। निराश और हताश एक बेंच पर जाकर वे बैठ गए। मन-ही-मन व्यवस्था के बारे में विचार करने लगे–"एक समय ऐसा भी था जब वे नौकरी में थे। तब कितनी ईमानदारी से काम होता था और आज ये आलम है कि अपना ही पैसा प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि सरकार इस व्यवस्था को ही बंद कर देती। कम से कम रिटायरमेंट के बाद किसी पेंशन का आसरा तो नहीं होता। लोग बुढ़ापे के सहारे के लिए पूर्व से ही कोई न कोई व्यवस्था कर ही लेते।" और भी न जाने क्या-क्या सोचते रहे कामता प्रसाद। उन्होंने महसूस किया कि कोई उनकी

कामता प्रसाद को सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण किये साल भर से ऊपर होने को आये। अचानक से वेतन बंद हो जाने से वे आर्थिक तंगी झेल रहे थे। पेंशन कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते उनके जूते घिस गये फिर भी उनकी पेंशन निर्धारित नहीं हो सकी। कई बार तो फाइलों को इधर-उधर करवाने में चढ़ावा तक देना पड़ा। तिस पर से वे टीबी के मरीज़ भी हो गए। जो भी थोड़ी-बहुत जमा-पूंजी थी वह भी पिछले एक साल में घर के आटा-दाल का ख़र्च चलाने में समाप्त हो गयी। बीमारी की वजह से पड़ोसियों का क़र्ज़ा भी सिर पर चढ़ गया-सो अलग। इतनी तंगी में भी उन्होंने कभी अपने बच्चों से आर्थिक मदद लेने का प्रयास नहीं किया।

बगल में आकर बैठ रहा है। मुड़कर देखा तो पाया-पान से रंगे काले दांतों को निपोरता दफ़्तर का चपरासी था। धीमे-से उसने कान में फुसफुसा कर कहा-"साहब ने मुझे भेजा है।

कहलवाया है कि यदि कल तक आप दस हज़ार रुपए का प्रबंध कर दें तो आपका काम एक हफ़्ते के भीतर हो जाएगा।" उसे देखकर कामता प्रसाद अंदर तक घृणा से भर उठे। जी में आया कि पूरी ताक़त से उस चपरासी मुंह पर थप्पड़ मार दें, किन्तु वे ऐसा न कर सके। बेवजह का हंगामा खड़ा हो जाता और वे ऐसा कदापि नहीं चाहते थे। निराश क़दमों से वापस घर आ गये और सीधे बिस्तर पर जाकर ढ़ेर हो गये। एक गिलास पानी और एक कप चाय लेकर सुभद्रा उनके पास आयी। धीमे से कामता प्रसाद के हाथ में पानी का गिलास थमाकर पूछा-"आज तो काम हो गया न। अब तो फिर से दोबारा नहीं जाना पड़ेगा।" एक बार तो कामता प्रसाद के मन में आया कि वे सुभद्रा से बोल दें कि काम हो गया है। न कहकर क्यों बेचारी का दिल दुखाया जाए, किन्तु सुभद्रा के सम्मुख वे झूठ न बोल सके। उसकी ओर मुख़ातिब हो उन्होंने कहा-"नहीं।

दस हजार रिश्वत मांग रहे हैं तब जाकर काम करेंगे। क्या उन्हें नहीं मालूम कि हम फूटी कौड़ी के लिए भी तरस रहे हैं? पैसों के अभाव में ज़रूरी दवाई तक नहीं ख़रीद पा रहे तो उन्हें रिश्वत कहां से देंगे?" इसके बाद दोनों के मध्य मौन ही रहा। कामता प्रसाद ने गौर किया कि सुभद्रा शाम को कहीं बाहर गयी है। शायद ज़रूरत का कोई सामान लेने गयी होगी-ऐसा सोच उन्होंने सुभद्रा को टोकना उचित नहीं समझा। सुबह होने को आयी। कामता प्रसाद अब तक अलसाये छत को घूर रहे थे। सुभद्रा की आवाज़ ने उनकी तंद्रा भंग की।



पूछ रही थी-"क्या पेंशन कार्यालय नहीं जाएंगे? उन्होंने तो आज ही बुलाया है न।" "क्यों मज़ाक़ करती हो सुभद्रा? दस हज़ार होंगे तो जाऊंगा न। और तुम तो जानती हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं।" कातर स्वर में कामता प्रसाद ने कहा। "आपके पास नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। मैं आपकी पत्नी हूं और मेरे पास जो भी है वह आपका ही तो है।" कहने के साथ सुभद्रा ने दस हज़ार रुपए की गड्डी कामता प्रसाद के हाथ पर रख दी। कामता प्रसाद अवाक से सुभद्रा का मुंह ताकते रह गये। उन्हें समझते देर न लगी कि कल शाम ज़रूर अपने गहने बेचकर सुभद्रा ये पैसे लायी है। अपनी बेबसी पर वे तड़प उठे। उन्होंने सुभद्रा से कहा-"यह मुझ से नहीं होगा। किसी स्त्री के लिए उसके आभूषण बड़े कीमती होते हैं और यह मुझसे कतई नहीं होगा कि मैं तुम्हारे आभूषण बेचकर रिश्वत की भेंट चढ़ाऊं।" "बेशक किसी स्त्री के लिए उसके आभूषण बड़े क़ीमती होते हैं, किन्तु पति से ज़्यादा नहीं। एक स्त्री के लिए उसके पति की क्या अहमियत होती है, ये आप नहीं समझ सकते। आप फ़िक्र न करें और शीघ्र जाकर काम करवा लें। ईश्वर ने चाहा तो ऐसे बहुत सारे गहने फिर से आ जाएंगे। और वैसे भी इस उम्र में इन आभूषणों की मेरे लिए क्या उपयोगिता रह गयी है?"

दृढ़ स्वर में सुभद्रा ने कहा तो कामता प्रसाद इन्कार न कर सके। कांपते हाथों से उन्होंने नोटों का बंडल उठाया और जाकर उस चपरासी के मुंह पर दे मारा। नोटों का बंडल लेते समय उस चपरासी के मुंह पर एक विजयी मुस्कान उभर आयी और अब भी वह अपनी खीसें निपोर रहा था। कामता प्रसाद अपमान का घूंट पीकर रह गये। बोझिल क़दमों से वापस घर आ गये। घर में घुसने से पूर्व पांव उनका साथ नहीं दे रहे थे। सुभद्रा ने दरवाज़ा खोला। सुभद्रा के प्रश्नवाचक नज़रों का सामना करने की

शक्ति उनमें शेष नहीं थी और वे सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर धंस गये। धीरे-धीरे समय बीतता रहा। पेंशन की राशि के भुगतान का कहीं पता नहीं था।

आर्थिक मजबूरी के कारण कामता प्रसाद की दवाइयां बंद थीं और दिन-प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। कमज़ोरी इतनी हो गयी कि बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो गया। वह तो सुभद्रा ही थी जो रात-दिन उनकी सेवा में लगी रहती और चेहरे पर तनिक भी परेशानी का भाव नहीं आने देती। सुभद्रा के कारण ही तो वे अब तक जीवित थे। सुभद्रा के कभी बाहर चले जाने पर बिस्तर पर पड़े-पड़े ही वे काफ़ी देर तक रोते रहते, किन्तु सुभद्रा के सम्मुख अपने आंसू बहाकर उसे दुखी करना नहीं चाहते।

आज शाम से ही उनकी स्थिति बिगड़ती चली गयी। शुरू में तो वे काफी देर तक खांसते रहे और फिर देर रात तक ख़ून की उल्टियां भी हो गयीं। एक तो रात का समय, उस पर सुभद्रा घर में अकेली। कामता प्रसाद के सिरहाने बैठ सुभद्रा धीरे-धीरे उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए सुबह होने का इंतज़ार करने लगी ताकि डॉक्टर की मदद ली जा सके। सोचते-सोचते न जाने कब सुभद्रा की आंख लग गयी और धीरे-धीरे कामता प्रसाद का शरीर शांत होता चला गया। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ ने सुभद्रा को नींद से जगाया। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और कुछ पूछने के लिए कामता प्रसाद को हिलाया तो उनका शरीर एक ओर लुढ़क गया। उनका शरीर ठंडा था और उनके प्राण-पखेरू कब के उड़ चुके थे। कांपते हाथों से सुभद्रा ने उनके नेत्र बंद किये और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। धीरे-धीरे पड़ोसियों की भीड़ बढ़ती चली गयी। किसी पड़ोसी ने अपना पुनीत कर्तव्य समझकर दोनों पुत्रों और पुत्रियों को फोन पर सूचना दे दी। शाम तक वे सब भी अंतिम संस्कार में शरीक होने पहुंच गये। एक बार तो सुभद्रा के मन में आया कि वह बच्चों से कह दे कि वे यहां से चले जायें। अब क्या करने आये हैं? किन्तु सामाजिक रीति-रिवाज और क़ायदे-क़ानून को याद करके सुभद्रा ऐसा न कर सकी। वह तो जैसे जड़ हो गयी थी। कामता प्रसाद का अंतिम संस्कार करने

अपने पुत्रों के व्यवहार के प्रति सुभद्रा का मन कड़वाहट से भर उठा और वह उठकर अंदर चली गयी। कामता प्रसाद जिस कमरे में रहते थे सुभद्रा सीधे उसी कमरे में गयी और कामता प्रसाद की एक बड़ी सी तस्वीर को अपने सीने से लगाये काफ़ी देर तक सुबकती रही।

के बाद सब वापस आ गये। समाज के सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां मौजूद थे और ब्राह्मण भोज आदि देने पर विचार कर रहे थे। कोई पूरी बिरादरी तो कोई पूरे गांव को भोज देने की सलाह दे रहा था। सुभद्रा महसूस कर रही थी कि उसके पुत्रों का चेहरा पीला पड़ रहा है, मानो इस ख़र्च से वे किसी तरह निकल भाग जाना चाह रहे हों। किन्तु पूरा समाज उनपर दवाब बनाये हुये था। उसी समय वहां पर डाकिया आया और सुभद्रा के के हाथ में एक लिफ़ाफ़ा थमा दिया। लिफ़ाफ़ा खोलते ही उसने एक गहरी सांस ली और वहां इकट्ठी भीड़ की समस्या का भी समाधान हो गया। सुभद्रा ने वह लिफ़ाफ़ा अपने पुत्रों को थमा दिया। लिफ़ाफ़े में पूरे तीन लाख रुपए का चेक था जिसे कामता प्रसाद के पेंशन की राशि के रूप में भुगतान किया गया था। अगले कई दिनों तक घर में ख़ूब चहल-पहल का माहौल रहा। पूरे गांव के लोगों को कई दिनों तक भोज दी गयी। सबने छककर खाया और कामता प्रसाद की जय-जयकार करते रहे। उनके पुत्रों का कद भी समाज में ऊंचा हो गया और वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने लगे। मन-ही-मन वे अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हो गए और उन्हें धन्यवाद दे रहे थे कि मरते-मरते पिताजी कुछ ऐसा काम कर गये जिसके कारण आज वे समाज में ख़ूब सम्मान पा रहे थे।

सुभद्रा विचार कर रही थी- "रिटायरमेंट की पेंशन की राशि ने कामता प्रसाद को क्या सुख दिया? अन्तिम समय तक तो वे पाई-पाई के लिए तरसते रहे और फिर एक दिन दवा और इलाज के अभाव में मृत्यु का वरण कर लिया। आज इन पैसों का उपयोग करने के लिए वे इस संसार में ही नहीं हैं। हां-इन पैसों से एक काम अवश्य हुआ कि उनका अंतिम संस्कार अच्छे से हो गया। वरना उनके पुत्र तो ऐसे थे जो अपना धन ख़र्च करके उनका अंतिम संस्कार भी न करते।"

अपने पुत्रों के व्यवहार के प्रति सुभद्रा का मन कड़वाहट से भर उठा और वह उठकर अंदर चली गयी। कामता प्रसाद जिस कमरे में रहते थे सुभद्रा सीधे उसी कमरे में गयी और कामता प्रसाद की एक बड़ी सी तस्वीर को अपने सीने से लगाये काफ़ी देर तक सुबकती रही। ■■

आख़िरी पन्ना



नईम अलहिन्दी



बुद्धिमानों के लिए निशानियां

यह जगत न तो कोई भ्रम है और न निरर्थक। ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि की रचना के पीछे एक ठोस उद्देश्य है। समस्त सृष्टि की रचना एक ही ईश्वर ने की है और इस संसार पर उसी एक ईश्वर (अल्लाह) का प्रभुत्व है, यह समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, बल्कि यह सत्य तो हर किसी के हृदय में स्वयं ही विद्यमान है और अवसर प्राप्त होते ही यह पूरी शक्ति से बाहर आ जाता है। इस प्रकृति की हर वस्तु में जो सामंजस्य एवं तारतम्य दिखाई देता है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समस्त सृष्टि का रचयिता एक ही है।

क़ुरआन में ईश्वर का कथन है–

''धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी-बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत-सी निशानियां हैं।'' (क़ुरआन, 3:190)

वैसे तो क़ुरआन विज्ञान की पुस्तक नहीं है, परंतु इसमें बहुत से ऐसे वैज्ञानिक सत्य मौजूद हैं, जिन्हें अब से 1450 साल पहले ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जान सका था और जिनका ज्ञान इन्सान को बीसवीं शताब्दी में पहुंचकर अनेक उपकरणों का प्रयोग करने के बाद हुआ। इस प्रकार के तथ्यों को एकत्रित किया जाए तो एक लंबी सूची बन जाएगी और अगर विस्तार से इनका वर्णन किया जाए तो कई पुस्तकें तैयार हो जाएंगी।

इनमें से कुछ पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर ''सृष्टि की उत्पत्ति'' इस पर आधुनिक भौतिकी (Astro physics) इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि संपूर्ण विश्व एक महा विस्फोट के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। इससे पूर्व न तो कोई भौतिक

क़ुरआन विज्ञान की पुस्तक नहीं है, परंतु इसमें बहुत से ऐसे वैज्ञानिक सत्य मौजूद हैं, जिन्हें अब से 1450 साल पहले ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जान सका था और जिनका ज्ञान इन्सान को बीसवीं शताब्दी में पहुंचकर अनेक उपकरणों का प्रयोग करने के बाद हुआ। इस प्रकार के तथ्यों को एकत्रित किया जाए तो एक लंबी सूची बन जाएगी और अगर विस्तार से इनका वर्णन किया जाए तो कई पुस्तकें तैयार हो जाएंगी।

तत्व था, न ही समय। इसी शून्य स्थिति से इस विश्व की रचना हुई। वर्ष 1992 में नासा के COBE अंतरिक्ष यान द्वारा लिए गए चित्रों के आधार पर भी यही निष्कर्ष निकाला गया कि महाविस्फोट से ही इस विश्व का आरंभ हुआ है, उससे पूर्व शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।

क़ुरआन में ईश्वर ने इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त किया है–''वह तो आकाशों और धरती का आविष्कारक है।'' (क़ुरआन, 6:101)

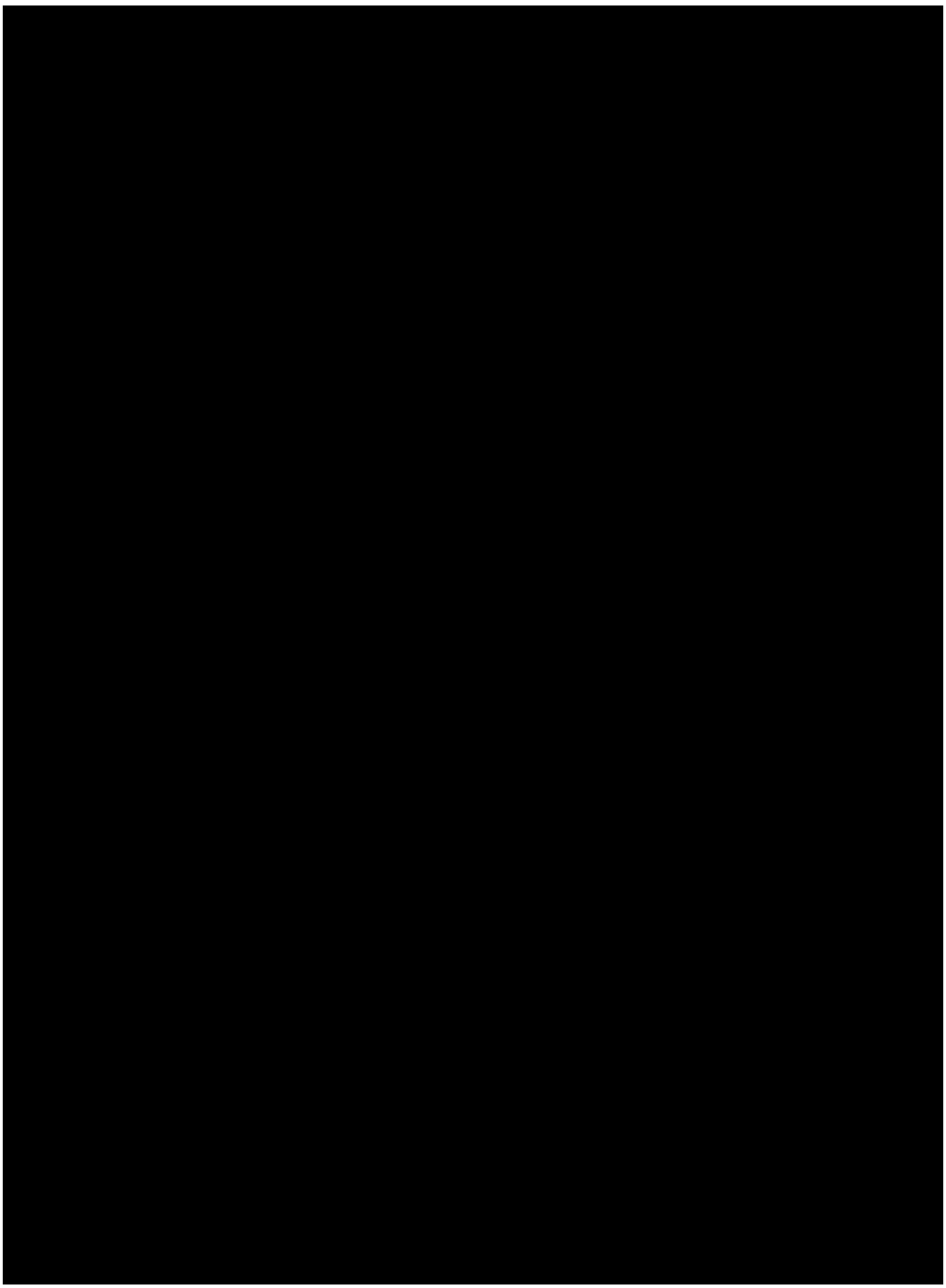
इसी प्रकार बीसवीं शताब्दी के आरंभ में रूस के भौतिकशास्त्री अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने यह खोज की कि यह संसार स्थिर नहीं है और इसकी सीमाओं में निरंतर विस्तार हो रहा है। 1929 ई॰ में 'हबल' दूरबीन से इसकी पुष्टि भी हो गई। इसके पहले हज़ारों वर्षों से यही धारणा थी कि यह विश्व एक स्थित ईकाई है। हालांकि अब से 1450 वर्ष पहले ही क़ुरआन ने इस सत्य की घोषणा इस तरह की–'आसमान' या अर्थात् ब्रह्माण्ड को हमने अपने ज़ोर से बनाया और हम ही उसका विस्तार भी कर रहे हैं।'' (क़ुरआन, 51:47)

क़ुरआन के अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उन आयतों की संख्या जिनमें प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण और इस पर चिंतन-मनन करने पर उभारा गया है,



उनकी संख्या उन आयतों से कई गुना अधिक है जो नमाज़, रोज़ा, हज आदि से संबंधित हैं। परिणामस्वरूप इन आयतों से प्रभावित होकर मुसलमानों ने प्रकृति का निकट से निरीक्षण करना प्रारंभ किया। आयातों ने निरीक्षण एवं परीक्षण तथा प्रयोग के लिए ऐसी वैज्ञानिक मनोवृत्ति को जन्म दिया, जिससे यूनानी भी अनभिज्ञ थे। मुस्लिम वनस्पतिशास्त्री इब्ने-बेतार ने संसार के सभी भू-भागों से पौधे एकत्र करके वनस्पतिशास्त्र पर पुस्तक लिखी, जिसे मेयर (Mayer) ने अपनी पुस्तक "Geschder Botanika" में इसे "कड़े श्रम की पुरातन निधि" की संज्ञा दी है। अल-बैरूनी ने चालीस वर्षों तक यात्रा करके खनिज पदार्थों के नमूने एकत्र किए। इस प्रकार की अनेक घटनाओं को उद्धत करते हुए रबिट ब्रीफ्फालट अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "The Making of Humanity'' (मानवता का सर्जन) में अपने उद्गार इन शब्दों में व्यक्त करता है। हमारे विज्ञान पर अरबों का एहसान केवल उनकी आश्चर्यजनक खोजों या क्रांतिकारी सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान पर अरब सभ्यता का इससे कहीं अधिक उपकार है और वह है स्वयं विज्ञान का अस्तित्व।

■■



KANTI Monthly, New Delhi
JANUARY 2022
Posted on 20-21 December 2021
Published on 18 December 2021
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

